कुरुक्षेत्र

अप्रैल 1987 मूल्य 2 रुपये

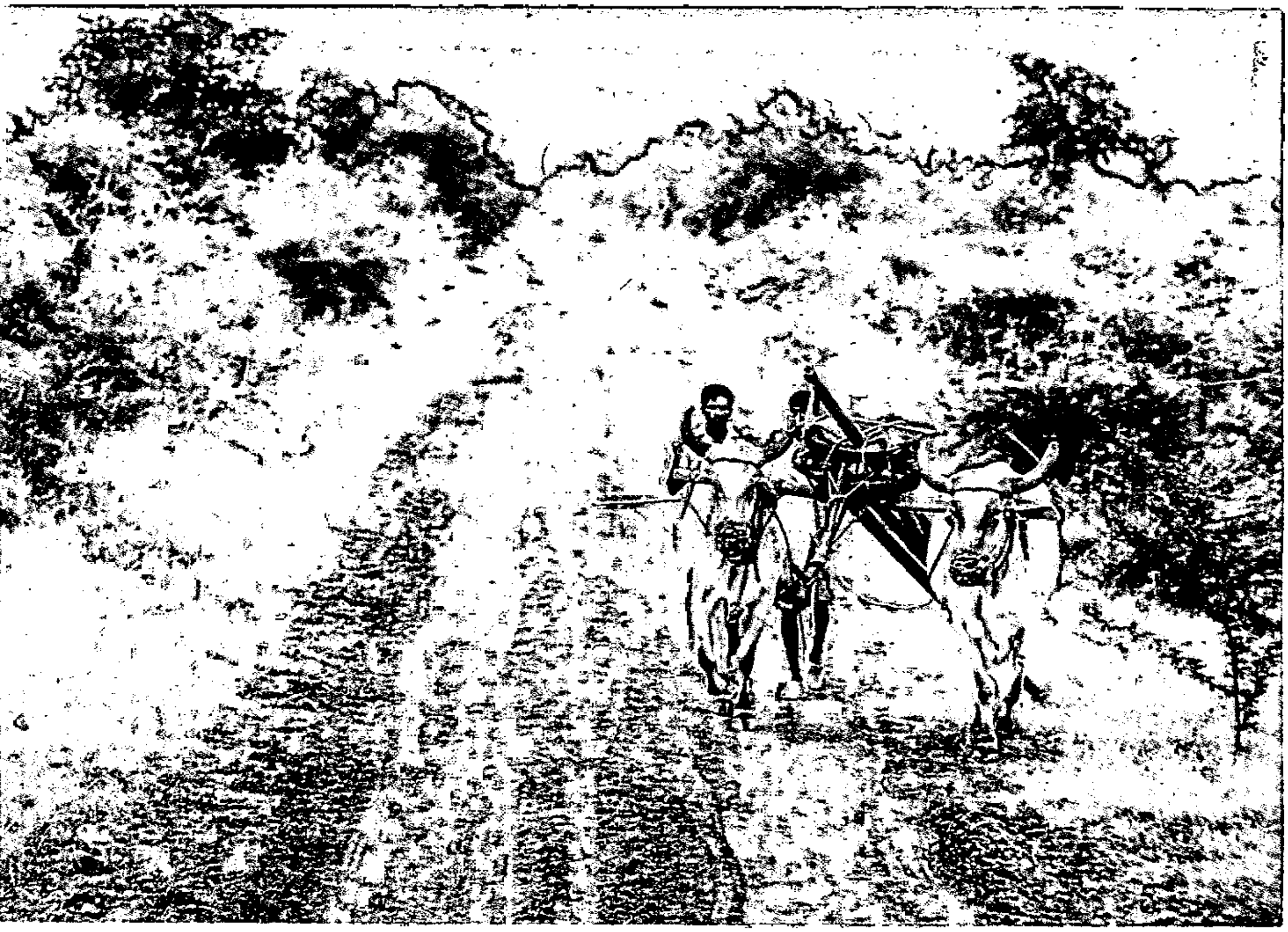

खेती पर जोर

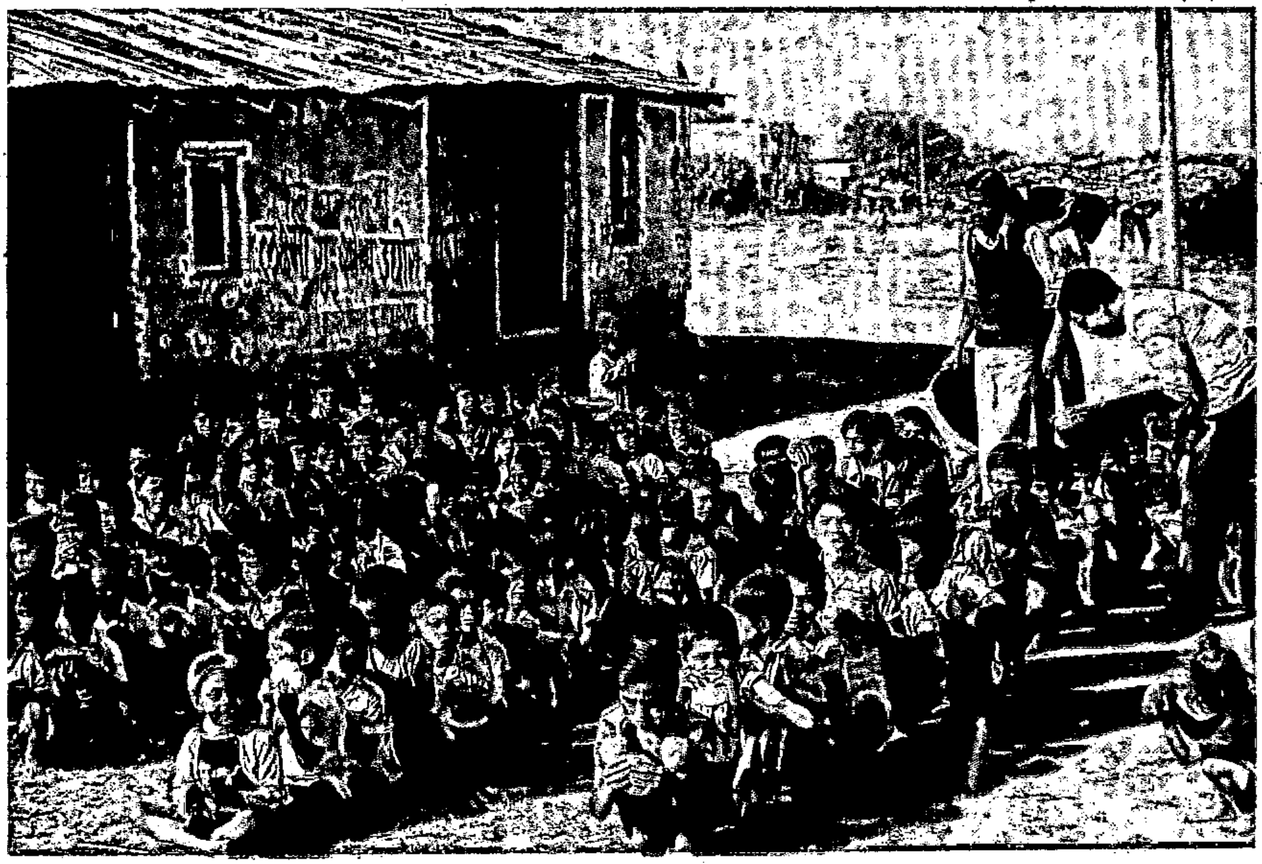

बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986

9. दो बच्चों का परिवार

हम :

- प्रयास करेंगे कि दो बच्चों का मानदण्ड जनता को स्वैच्छा से स्वीकार हो
- बच्चों के प्रति माता-पिता की जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहन देंगे;
- शिशुओं की मृत्यु-दर को कम करेंगे; और
- मातृ एवं शिशु कल्याण सुविधाओं का विस्तार करेंगे ।

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए ।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें ।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 2.00 रु.
वार्षिक चन्दा : 20 रु.

सहायक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा

सहायक निदेशक : राम स्वरूप मुंजाल (उत्पादन)

आवरण पृष्ठ : जीवन अडलजा

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 32 | **चैत्र-वैशाख 1909** | **अंक-6**

इस अंक में — **पृष्ठ संख्या**

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल — 2
एस. श्रीनिवासन

आदिवासियों के लिए सामाजिक वानिकी का नया कार्यक्रम "रूँख भायला" — 6
प्रभात कुमार सिंघल

ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सहकारिता की भूमिका — 9
डॉ. अजित कुमार गौड

गुणों से भरपूर-सौंफ — 14
अभय कुमार जैन

जवाब नहीं दीनानाथ घास का — 16
दुर्गाशंकर त्रिवेदी

सरकंडा घास : ग्रामीण आय का सम्भावित स्रोत — 17
एलिजाबेथ फिल्लीपो

टूटा घड़ा (कहानी) — 22
सुदेश कुमार सिंह

"एक मुलाकात उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के अध्यक्ष से" — 26
शारदा त्रिवेदी

भारतीय अर्थव्यवस्था में उर्वरकों का योगदान — 30
डा.एम.एल. विश्वकर्मा

गांव की गौरी (कविता) — 32
चैनराम शर्मा

भारत में विकलांगो का पुनर्वास — 33
एम.आई. हबीबुल्ला

कौड़ियों से करोड़ — 35
नटवर त्रिपाठी

आवरण चित्र : फोटो विभाग से साभार

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल

एस. श्रीनिवासन

स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था अधिकांशत: सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली पर निर्भर होती है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये नियोजित ढंग से स्वास्थ्य सेवा ढांचा बनाना और उसे कार्यान्वित करना अनिवार्य है। हमारे देश में स्वाधीनता के बाद स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विकास सन् 1946 में बनी भोरे समिति के सुझावों के आधार पर किया गया था। हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं स्वास्थ्य सेवा संबंधी ढांचे को मजबूत बनाना, बीमारियों को पूरी तरह खत्म करना और स्वास्थ्य सेवाओं को समन्वित करना। इसलिये स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को राष्ट्र निर्माण की अन्य योजनाओं के साथ समन्वित किया गया तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों का जाल बिछाने के उपाय किये गये ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को न्यूनतम आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें।

हमारे देश के गांवों की आबादी का अधिकांश हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं से या तो बिल्कुल वंचित रहा है या फिर उसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें नाममात्र को ही मिल पायी हैं। हमारे यहां ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर अभाव रहा है। इसे दूर करने की दिशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का व्यापक जाल बिछाया जा रहा है। दरअसल अब हमारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गये हैं।

हमारे देश में तीन चरणों वाली स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है। सबसे नीचे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां स्थानीय लोगों को मूल चिकित्सा सहायता, तकलीफ दूर करने, उसे रोकने की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। उसके पश्चात् तालुक तथा जिला स्तर के अस्पताल हैं जहां प्राथमिक केंद्रों से भेजे मरीजों को बीमारी या दुर्घटना आदि की स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहती है। तीसरे चरण में आते हैं मैडिकल कालेज, डाक्टरी अध्ययन के अस्पताल और अन्य विशेषज्ञ संस्थान जहां निचले दो स्तरों से भेजे गये मरीजों का गहन और विशेषज्ञ इलाज किया जाता है। इस तरह देशभर में व्यापक स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय महत्वपूर्ण स्तर पर उपलब्ध करायी जाती है।

स्वास्थ्य सेवा का मूल उद्देश्य यह होता है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो। हमारे देहात में तीन प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। ये हैं : औपचारिक, अनौपचारिक तथा प्रचलित स्वास्थ्य देखभाल उपाय। औपचारिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार द्वारा स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-केंद्र तथा औषधालय शामिल हैं। अनौपचारिक प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों-आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी चिकित्सकों के दवाखाने आते हैं। प्रचलित स्वास्थ्य संसाधनों में वे लोग आते हैं जो अन्य कामों के साथ-साथ दवादारू के प्रचलित, परम्परागत तरीके अपनाते हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें व पंचवर्षीय योजनायें

पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तेजी से विकास की शुरूआत की गयी। ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य संबंधी मूल आवश्यकताओं के लिये 1952 में प्राथमिक स्वास्थ्य यूनिटों की स्थापना की गयी। इसे बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहा जाने लगा। देहात में लोगों को स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध कराने का मुख्य माध्यम वास्तव में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही हैं। प्रथम योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का भार राज्यों के जिम्मे डाला गया था। बाद में यह प्रस्ताव किया गया कि इन केंद्रों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं से संबद्ध कर दिया जाये। प्रथम योजना के अंत तक देश भर में केवल 725 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गये।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के लिये अधिक खर्च की व्यवस्था की गयी । इसमें प्राथमिक केंद्रों की संख्या बढ़ाने तथा जिला व तालुक अस्पतालों की क्षेत्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया । दूसरी योजनावधि के पूरा होते-होते अधिकांश विकास खंडों में 2800 प्राथमिक केंद्र खुल चुके थे । लेकिन अगली दो योजनाओं में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में ढील आ गयी और इनमें कई कमियां सामने आयीं ।

तीसरी योजना में उद्देश्य यह रहा कि स्वास्थ्य सेवायें इस तरह बढ़ायी जायें कि लोगों को न्यूनतम स्वास्थ्य स्तर बनाये रखने में मदद मिले, उनके लिये अधिक कुशलता तथा उत्पादकता क्षमता के साथ काम करने की परिस्थितियों को बनाने की दिशा में काम किया जाये तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके जनस्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार लाया जाये । फलतः तृतीय योजना में ग्रामीण लोगों को छोटे परिवार के लिये प्रोत्साहित करने के लिये परिवार नियोजन को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का अभिन्न अंग बनाया गया । पौष्टिक आहार के महत्व पर भी जोर दिया गया । तृतीय योजना के अंत तक सामुदायिक विकास खंडों में एक-एक प्राथमिक केंद्र खोलने का प्रस्ताव था । मार्च 1966 तक 4631 केन्द्र बना दिये गये थे । इस योजना में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी, प्राथमिक केंद्र भवनों और कर्मचारी आवास गृहों के निर्माण में देरी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण का अभाव जैसी बातों पर भी गौर किया गया ।

चौथी योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधा के लिये आवश्यक प्रभावी आधार तैयार करना बड़ा जरुरी है जैसे कि प्राथमिक केंद्रों को मजबूत बनाया जाये, तहसील तथा जिला अस्पतालों की तरफ ध्यान दिया जाये, छूत की बीमारियों पर नियंत्रण कार्यक्रमों तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों में समन्वय कायम किया जाये । इस योजना में प्राथमिक केंद्रों की मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया तथा मार्च 1974 तक देश भर में 5283 केंद्र बना दिये गये ।

पांचवीं योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रम का पुनर्गठन करने का विचार बना ताकि संचारी रोगों की रोकथाम, चिकित्सा शिक्षा और मूल सुविधायें उपलब्ध कराने आदि की दिशा में हुई प्रगति को मजबूत बनाया जा सके । इसलिये इस योजना में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवा, गर्भवती महिलाओं तथा जच्चा-बच्चा सेवा, पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध करा कर लोगों को परिवार नियोजन के लिये प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया । "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" पर जोर देकर ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया । इस कार्यक्रम में पीने के साफ पानी की सप्लाई और गंदी बस्तियों के सुधार की योजनायें चलायी गयीं । इसी योजना में प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के लिये एक-एक प्राथमिक केंद्र बना दिया गया तथा मार्च 1978 तक 5430 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हो चुके थे ।

इससे पूर्व तृतीय योजना में प्राथमिक केंद्रों के आसपास उपकेंद्र खोलने का काम भी तेजी से चलाया गया था । सन् 1978 मार्च तक देश में 5430 प्राथमिक केंद्र, 38,594 उपकेंद्र, 126 ग्रामीण अस्पताल, 258 सहायक स्वास्थ्य यूनिट तथा मैडिकल कालेजों से सम्बन्ध 124 चलती-फिरती यूनिटें मौजूद थीं । यह भी प्रस्ताव था कि हर दस हजार की आवादी के लिये एक उपकेंद्र हो और हर चार प्राथमिक केंद्रों में से एक को 30 बिस्तरों वाला ग्रामीण अस्पताल बनाया जाये । अब हर एक लाख की आबादी के लिये 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है जहां स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और आम इलाज की विशेष व्यवस्था होगी । इस प्रकार सन् 2000 तक सबके लिये स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी ।

नयी ग्रामीण स्वास्थ्य नीति

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना : सन् 1977 में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना आरंभ की गयी थी । उसी वर्ष अक्तूबर माह में नयी ग्रामीण स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गयी । इसमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया था । इसके अंतर्गत पूर्ववर्ती "सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना" को स्वास्थ्य गाइड कार्यक्रम में बदल दिया गया । यह ग्रामीण स्वास्थ्य योजना देश में चुने हुये 777 प्राथमिक केंद्रों में शुरू की गयी । इसमें लोगों को यह बताने पर बल दिया गया कि वे स्वयं क्या कर सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य के लिये उन्हें सरकारी एजेंसी या बाहरी मदद आने तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की जरुरत नहीं है । योजना की शुरूआत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से हुई । प्रत्येक 1000 की आबादी वाले गांव या समुदाय में एक कार्यकर्ता का प्रावधान है । इस कार्यकर्ता का चयन ग्राम पंचायत, चिकित्सा अधिकारी खंड विस्तार शिक्षक करते हैं और इसे प्रशिक्षण प्राथमिक केंद्र के स्वास्थ्य सहायक देते हैं । कुल 200 घंटे का यह प्रशिक्षण प्रायः तीन महीने में पूरा होता है । इसे स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी बातें और परिवार कल्याण के बारे में बताया जाता

है। इलाके में प्रचलित और आधुनिक चिकित्सा पद्धति-दोनों की जानकारी दी जाती है और प्रशिक्षण के दौरान दो-दो सौ रुपये का वजीफा तीन बार (कुल 600 रु) मिलता है। प्रशिक्षण के पश्चात् इसे एक किट दी जाती है जिसमें आम दवाइयां, स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री और काम संबंधी निदेशिका होती है। इसे हर माह 50 रुपये जेब खर्च तथा 50 रुपये की दवाइयां दी जाती हैं।

इस योजना से एक तरफ लोगों को अपने लिये स्वास्थ्य रक्षक चुनने का मौका मिलता है और उनकी स्वास्थ्य संबंधी तात्कालिक जरूरतें भी पूरी होती हैं। अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीण लोगों में यह योजना लोकप्रिय हुई है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिवार नियोजन का महत्वपूर्ण संदेशवाहक साबित हुआ है, वह सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है।

(2) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना : इस योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा उनके घर पर ही उपलब्ध करायी जाये। इस योजना की सिफारिश करतार सिंह समिति ने 1973 में की थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा अधिक सुगम बनाने के लिये प्रशिक्षित अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा एक समान स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। इस सेवा में रोगों की रोकथाम के लिये दवाइयां, परिवार कल्याण, पौष्टिक आहार और बीमारी के इलाज के लिये अस्पताल में भेजने की सेवायें शामिल हैं। पहले मलेरिया, चेचक, तपेदिक आदि राष्ट्रीय रोकथाम कार्यक्रमों के लिये कार्यकर्ता अलग-अलग किसी केंद्रीय तालमेल के बिना काम करते थे। लेकिन यह तय हुआ कि एक बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता काडर बनाया जाये (पुरूष व महिला दोनों कार्यकर्ताओं का) और यह काडर उप-केंद्र स्तर तथा खंड विस्तार शिक्षक स्तर पर हो और प्राथमिक केंद्र में चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में खंड स्तर पर एक स्वास्थ्य सहायक रहे। बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र 10,000 की आबादी तक सीमित कर दिया गया तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य देखभाल का काम परिवार कल्याण के साथ जोड़ा गया। परन्तु इन प्रयासों के वांछित परिणाम पूरी तरह अभी नहीं मिल सके हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य हेतु छठी योजना नीति

छठी योजना में कहा गया था कि ऐसी ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की जायेगी जिसमें रोगों की रोकथाम, इलाज तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवायें संयुक्त रूप से चलायी जायेंगी, गांव या एक हजार की आबादी को आधार यूनिट माना जायेगा और वहां एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहेगा, प्रत्येक प्राथमिक केंद्र के अधीन 30,000 आबादी का क्षेत्र रहेगा और प्रत्येक उप-केंद्र पर पांच हजार आबादी तक स्वास्थ्य सेवायें देने का दायित्व रहेगा। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में यह सीमा अधिक होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा, एक लाख की आबादी तक मूल चिकित्सा सुविधायें दी जायेंगी और वहां से गंभीर बीमारी वाले मरीजों को जिला या मेडिकल कालेज अस्पताल में भेजा जायेगा। शिक्षा, जल आपूर्ति, सफाई, संचारी रोगों पर नियंत्रण, जच्चा-बच्चा देखभाल, पौष्टिक आहार व स्कूल स्वास्थ्य कार्यों में पूर्ण तालमेल रखा जायेगा तथा इसके लिये चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

छठी योजना में "ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के न्यूनतम कार्यक्रम" के कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव था। इसमें शामिल थे (1) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना (2) स्वास्थ्य गाइड योजना (3) दाइयों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण।

न्यूनतम ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

(1) बहु-उद्देशीय योजना में हर 5000 की आबादी के लिये एक पुरुष और एक महिला कार्यकर्ता के जरिये स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी थी।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत (1) प्रशिक्षकों व जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये सात केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, (2) प्राथमिक केंद्रों के डाक्टरों और विस्तार शिक्षकों के लिये 47 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र हैं (3) ये प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर व शिक्षक प्राथमिक केंद्रों में अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं।

(3) स्वास्थ्य गाइड योजना का उद्देश्य स्थानीय जनता के सहयोग से ऐसे स्वैच्छिक कार्यकर्ता तैयार करना है जो गांवों में मूल स्वास्थ्य सेवा के अलावा रोगों की रोकथाम के बारे में प्रशिक्षण लेते हैं।

बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की योजना मार्च 1983 तक 329 जिलों में पूरी हो चुकी थी और 41 जिलों में जारी थी। स्वास्थ्य गाइड योजना के अधीन मार्च 1983 तक 4,247 प्राथमिक केंद्रों को शामिल किया जा चुका था तथा

2,42,161 स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित करके नियुक्त किया जा चुका था । इस योजना से गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में लाभ हुआ है ।

छठी योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के उद्देश्य थे:(1) एक गांव या एक हजार की आबादी के लिये 1990 तक एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराना (2) सन् 2000 तक मैदानी इलाके में 5000 तथा पर्वतीय और आदिवासी इलाकों में प्रति 3000 आबादी के लिये एक उप-केंद्र खोलना (3) शताब्दी के अंत तक मैदानी क्षेत्र में तीस हजार तथा पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्र में बीस हजार की आबादी के लिये एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना तथा (4) एक लाख की आबादी या एक सामुदायिक विकास खंड के लिये एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना ।

गांवों में प्रसूती कार्य, गर्भावस्था तथा प्रसूति के पश्चात सेवायें तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये गावों में कार्यरत दाइयों को प्रशिक्षण देने का विशेष केंद्रीय कार्यक्रम भी चलाया गया । इसके अंतर्गत इन्हें 30 दिन तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप-केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाता है । दस रुपये प्रतिदिन की दर से वजीफा दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद काम के लिये एक किट दी जाती है जिसमें प्रसूति के दौरान जरूरी सामान होता है । छठी योजना के दौरान ढाई लाख दाइयों को प्रशिक्षित किया जा चुका था और मार्च 1985 तक देश में प्रशिक्षित दाइयों की संख्या 5 लाख 10 हजार थी । और मार्च 86 अर्थात् सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में यह संख्या बढ़कर 5 लाख 38 हजार हो गयी थी । वैसे सातवीं योजना के दौरान सभी ग्रामीण इलाकों में बाकी सभी दाइयों को भी प्रशिक्षण दे देने का लक्ष्य रखा गया है । चालू सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में । लाख 30 हजार उपकेंद्रों की अनुमानित आवश्यकता और *21,666* बाकी प्राथमिक केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने का कार्यक्रम है । इसी प्रकार इस योजना में साढ़े चार लाख स्वास्थ्य गाइडों को तैयार करने का लक्ष्य भी पूरा कर दिये जाने का कार्यक्रम है । इस तरह चालू योजना के समाप्त होने तक देश में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिये आवश्यक स्वास्थ्य गाइड, दाइयां, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उपकेंद्र पूरी संख्या में उपलब्ध करा दिये जाने का लक्ष्य है । लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य पचास प्रतिशत तक ही पूरा हो पायेगा । देश में कुल 5417 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता का अनुमान है जबकि छठी योजना के अंत तक (मार्च 85) 697 और मार्च 86 तक 711 केंद्रों की स्थापना की जा चुकी थी । सातवीं योजना अवधि के दौरान 2115 सामुदायिक केंद्रों को स्थापित कर देने का लक्ष्य है जोकि कुल आवश्यकता का आधा होंगे ।

पिछले चार दशकों में निरंतर गहन प्रयासों के फलस्वरूप ग्रमीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्तर में काफी सुधार आया है । हालांकि प्राथमिक केंद्रों के लिये भवनों की कमी, डाक्टरों, नर्सो, दाइयों व प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुचारू संचालन में गंभीर बाधा बना है, तथा दवाओं व उपकरणों की पर्याप्त व समय पर उपलब्धता भी एक रुकावट बनी है, फिर भी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पहले की अपेक्षा अब गांवों में स्वास्थ्य सेवा अधिक उपलब्ध है और ग्रामीण जनता स्वास्थ्य की देखभाल, रोगों की रोकथाम के उपायों के बारे में अधिक जागरुक है । इस स्थिति में परिवहन तथा संचार व्यवस्था की उपलब्धता का भी योगदान है । इस कारण ग्रामीण जनता द्वारा अधिक प्राथमिक केंद्रों चिकित्सकों तथा अस्पताल सुविधाओं की मांग बढ़ी है ।

अनुवाद : ओम प्रकाश दत्त
96, भारत नगर,
दिल्ली- 110052

आदिवासियों के लिए सामाजिक वानिकी का नया कार्यक्रम

"रूँख भायला"

प्रभात कुमार सिंघल

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में निरंतर वनों के ह्रास होने से पर्यावरण संकट के साथ-साथ जलाऊ लकड़ी के लिए आवश्यकता एवं उपलब्धता के मध्य असन्तुलन उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही अकाल की हर वर्ष बनती स्थिति, सिंचाई कुओं के जल स्तर में निरन्तर गिरावट, भूमि का कटाव एवं लघु वन उपज संग्रहण पर आदिवासियों को रोजगार की कमी आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

इन समस्याओं से आदिवासियों को उबारने के लिए एक मात्र रास्ता अधिक से अधिक वृक्ष लगाना एवं जो भी वन कटने से बच गये हैं उनकी रक्षा करना है। साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आदिवासी समुदाय स्वयं का कार्यक्रम समझ कर अपनायें। कार्यक्रम से अपना लगाव महसूस करें और इसे केवल एक सरकारी योजना मानकर ही न चलें। जब तक आदिवासी समुदाय के लिए कार्यक्रम में जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयासों पर बल नहीं दिया जायेगा तब तक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर आदिवासी क्षेत्र को हरा-भरा बनाने का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। इसके लिए यह भी जरुरी है कि संप्रेक्षण के परंपरागत तरीकों में परिवर्तन लाया जाये तथा अपनी बात को कहने-समझाने के लिए उनकी भाषा में ही प्रतीकात्मक चिन्हों के माध्यम से वृक्षों एवं मानव संबंधों का महत्व बताया जाये। सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि सामूहिक प्रयास किये जायें।

इन सभी अवधारणाओं पर आधारित एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने का विचार कर वृक्ष-मित्र पुरस्कार प्राप्त तथा जनजाति विकास सचिव, श्री एम.एल. मेहता ने राजस्थान में आदिवासियों के लिए एक कार्यक्रम "रूँख-भायला" अर्थात् "वृक्ष-भाई" बनाया और इसकी क्रियान्विती के लिए जनजाति विकास विभाग के माध्यम से प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से प्रशिक्षण प्राप्त चयनित आदिवासी स्वयं सेवकों का एक समूह होगा जो ग्रामीण समुदाय के लोगों एवं वृक्षारोपण कार्य में लगी विविध संस्थाओं के मध्य निकट संपर्क बनाये रखने में प्रमुख भूमिका निर्वाह करेगा।

रूँख भायला कौन ?

रूँख भायला का शाब्दिक अर्थ है "वृक्ष का सहज भाई"। मानव एवं वृक्ष पारिस्थितिक व्यवस्था में सदैव से एक-दूसरे पर निर्भर रहते आये हैं। रूँख भायला मनुष्य एवं वृक्ष के धार्मिक एवं प्रतीकात्मक संबंधों की अवधारणा को मुहावरेदार भाषा में पुष्ट करता है।

रूँख भायला एक ऐसा चयनित स्वयंसेवक आदिवासी होगा जो एक सामाजिक प्रेरक की तरह कार्य करेगा। यह एक प्रकार से वृक्षारोपण करने एवं बंजर भूमि विकास के लिए विस्तार कार्यकर्ता तथा ग्रामीण समुदाय एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगा।

आरंभ में रूँख मायले सामाजिक कार्य द्वारा नर्सरी विकसित करने तथा वृक्षारोपण का कार्य करेंगे । बाद में अधिक अनुभव एवं आत्मविश्वास प्राप्त करने पर अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समुदाय को प्रेरित करने के लिए उनकी सेवाएं ली जा सकेंगी । समुदाय का सहयोग लेकर वे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को जन आन्दोलन का रुप दे सकेंगे ।

रूँख मायला क्यों ?

वृक्षों की खेती, सामुदायिक वानिकी एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की सफल क्रियान्विती भी रूँख मायला कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है । वर्तमान में संचालित वृक्षों की खेती कार्यक्रम की लम्बी अवधि में सफलता संदिग्ध है क्योंकि कार्यक्रम में सामुदायिक प्रयत्नों का प्रारंभ से ही अभाव है । समुदाय को कार्यक्रम के लिए पहले से तैयार करने एवं प्रेरित करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया । विस्तार शिक्षा का भी अभाव रहा । कार्यक्रम की क्रियान्विती उन ग्राम सेवकों के द्वारा की गई जिनके कंधों पर पहले से ही अनेकों कार्यक्रमों के दायित्व निर्वाह करने का भार था । औसतन 2 हजार परिवारों पर एक ग्राम सेवक अनेकों दायित्वों का निर्वाह करते समय इस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता था । ग्राम सेवक एवं लाभान्वित होने वाले व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार की कोई कड़ी नहीं है ।

इन विसंगतियों को दूर किये बिना सामाजिक वानिकी एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की सफलता भी संदिग्ध है । रूँख मायला कार्यक्रम में इन सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक रूप से आदिवासियों को वृक्ष लगाने के कार्य से जोड़ना है ताकि वे इसे केवल सरकारी कार्यक्रम न समझ कर अपने लिए लाभकारी समझ कर अपनाने को प्रेरित हो सकें ।

परियोजना क्षेत्र

रूँख मायला कार्यक्रम आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही जिलों के 23 जनजातीय विकास खण्डों तथा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही के 9 लघु जनजातीय विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जायेगा ।

इस कार्यक्रम से इस क्षेत्र के 5 हजार गांवों में रहने वाली लगभग 30 लाख की ग्रामीण जनसंख्या को लाभ मिल सकेगा । इसमें से 60 प्रतिशत अनुसूचित एवं जनजाति तथा 20 प्रतिशत जनजाति विभिन्न, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा भूमि श्रमिक होंगे ।

कार्य संघटक

पर्यावरण जागृति के लिए वन चेतना शिविर एवं पदयात्राओं का आयोजन किया जायेगा । इनमें ग्रामीण समुदाय का सर्वसम्मत व्यक्ति एवं चयनित जनप्रतिनिधि भी रूँख मायलों के साथ-साथ शामिल होंगे ।

कार्यक्रम की वर्षवार आयोजना निम्नानुसार होगी :

कार्यक्रम अनुसूचि

वर्ष	लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या	रोपित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या (लाखों में)	रूँख मायलों की संख्या	सामुदायिक वन भूमि का विकास (हैक्टेयर में)
1987-88	2500	25	500	5000
1988-89	3000	30	600	6000
1989-90	5000	40	800	8000

प्रथम वर्ष के लिए 500 स्वयंसेवक आदिवासियों का चयन कर रूँख मायले बनाये जायेंगे । ग्रामीण समुदाय की राय भी इसमें ली जायेगी । वरीयता उन व्यक्तियों को दी जायेगी जो समन्वित नारू उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित की गई पदयात्राओं के दौरान गठित किये गये ग्रामीण संपर्क दल के सदस्य रह चुके हैं । इन व्यक्तियों को अपने-अपने क्षेत्रों में वृक्षों की खेती तथा सामाजिक वानिकी कार्य का प्रचार-प्रसार एवं समुदाय के लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा । औसतन एक रूँख मायला दो पंचायतों में संपर्क कार्य करेगा । इसके लिए *200* रु. की वृत्तिका प्रतिमाह तीन माह के लिए

(15 मई से 15 अगस्त तक) दी जायेगी । संपर्क के दौरान यह निम्न कार्य करेगा :—

(अ) अपने प्रवर्तन क्षेत्र में 5000 पौधों को नि:शुल्क वितरण के लिए किसान नर्सरी का विकास । इसके लिये 0.45 पैसा की राशि प्रति पौधा देय होगी । इसमें पोलीथीन की थैली व उर्वरक का भी प्रावधान है ।

(आ) ऐसे किसानों का चयन जो वृक्षों की खेती कार्यक्रम के तहत अपनी सीमान्त एवं बंजर भूमि में वृक्षों के पीछे लगाने के इच्छुक हों ।

(इ) वानिकी कार्य के लिए किसानों में शिक्षा का विस्तार ।

(ई) युवकों एवं बड़ों को सामुदायिक वानिकी के लिए प्रेरित करना साथ ही सार्वजनिक स्थलों जैसे तालाब, बांध, खेल मैदान, धार्मिक स्थानों, हाट-बाजार एवं मेला स्थलों पर वृक्षारोपण कराना ।

प्रशिक्षण

चयनित रूँख भायलों को चूंकि पूर्व में कृषि संबंधी ज्ञान होगा अतएवं उन्हें 6 दिन का प्रशिक्षण तीन-तीन दिन की अवधि के दो चरणों में दिया जायेगा । प्रथम चरण में उन्हें पर्यावरण जागृति, अभिव्यक्ति की पद्धति में विकास के साथ-साथ कार्यकौशल एवं प्रेरित करने के स्तर में विकास पर तथा दूसरे चरण में वानिकी कार्यक्रम के तकनीकी पहलू पर प्रशिक्षण दिया जायेगा । दोनों चरणों के मध्य रूँख भायलों को अपने-अपने क्षेत्रों में भेजा जायेगा जहां वे व्यक्तिगत एवं समूह में किसानों से चर्चा कर उनके द्वारा लगाये जाने वाले पौधों की संख्या आदि की जानकारी संग्रहित करेंगे ।

प्रशिक्षण का प्रथम चरण 15 फरवरी, 1987-किसानों का चयन जो वृक्षों की खेती तथा बंजर भूमि पर वृक्ष लगाने के इच्छुक बनेंगे 15 मार्च तक, रूँख भायलों का दूसरा प्रशिक्षण 30 अप्रैल तक पदयात्राओं का आयोजन 31 मई खड्डे खोदना तथा फेंसिंग 30 जून तक, 15 अगस्त, 87 तक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा ।

कार्यक्रम की सफलता के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है । सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है कि लाभान्वित होने वाला समुदाय अपने को यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से अपनाने के लिए तैयार कर ले । वह यह महसूस करें कि यह केवल सरकारी थोपी हुई योजना नही वरन् उसका अपना कार्यक्रम है. स्वयं के हित के लिए । नि:सन्देह इस प्रकार का कार्यक्रम अपने आप में अनूठा और अभिनव है, जहां मनुष्य अपने को वृक्षों का भाई समझेगा । नि:सन्देह इस भावना के वशीभूत होकर वह उनको पालने-पोसने एवं बड़ा कर उनकी रक्षा के लिए भी प्रेरित हो सकेगा । इस भावना से अपने ही वृक्षारोपण का महान लक्ष्य न केवल प्राप्त ही किया जा सकेगा वरन् वास्तविक उद्देश्य भी सार्थक हो सकेगा ।

पड़त भूमि पर वृक्षारोपण करने की योजना एवं आदिवासी क्षेत्र को हरित बनाने का स्वप्न साकार करने के लिए सरकार ने नि:सन्देह एक व्यावहारिक एवं ठोस कार्यक्रम बनाया है । इसके क्रियान्वित होने से आदिवासी अंचल की हरियाली पुन: लौटाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा । □

सहायक जनसंपर्क अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
सूरजपोल बाहर
उदयपुर (राजस्थान)
313001

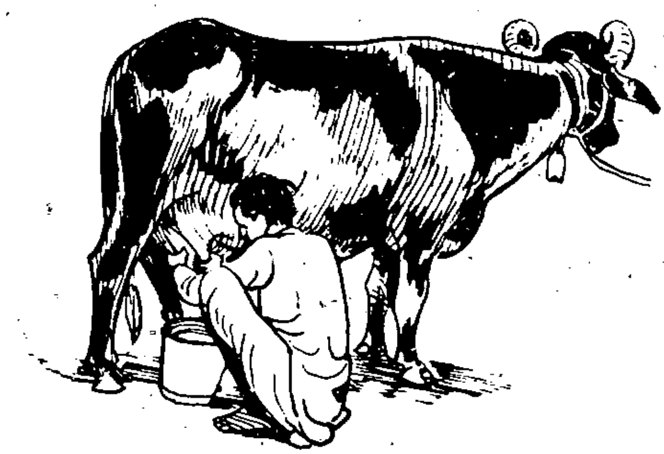

ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सहकारिता की भूमिका

डॉ अजित कुमार गौड़

सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, भूमिहीन मजदूरों एवं समुदाय के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों (न्यून आय वाले व्यक्तियों, अर्द्ध-रोजगार तथा बेरोजगार) को रोजगार, साख तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदान कर एक अच्छा उत्पादक बनाना है । लेकिन ग्रामीण विकास का लक्ष्य न केवल उत्पादकता बढ़ाना है अपितु सभी वर्गों को पूर्ण रोजगार तथा उनमें विकास प्रक्रिया का न्यायसंगत आबंटन करना है । भारत जैसे विकासशील देश में जहां मानव शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है और जिसका एक भारी अंश समाज का कमजोर वर्ग है, ग्रामीण विकास किसी भी आर्थिक विकास की सार्थक प्रक्रिया के लिए व्यापक महत्व का होता है ।

सहकारिता एक लोकतान्त्रिक आन्दोलन है जो मात्र अपने सदस्यों द्वारा प्रदर्शित गतिशीलता के अनुरूप ही आगे बढ़ सकता है । यह गतिशीलता और निर्देशन केवल एक सुयोग्य नेतृत्व में ही कारगर हो सकता है जिसके अभाव में आंदोलन समाप्त तथा निष्क्रिय हो जाता है । यह विशेषता हर सहयोगी को समस्त उपलब्धियों तथा असफलताओं पर उसके नेतृत्व के स्वरूप और किस्म की छाप होती है जो बदले में आन्दोलन के सामान्य जन का प्रतिबिम्ब होती है ।

सहकारिता का विचार

सहकारिता का विचार हमारे देश में आज से लगभग 82 वर्ष पूर्व अपनाया गया तथा महसूस किया गया था कि इसके द्वारा अनेक ग्रामीण तथा शहरी समस्याओं को हल किया जा सकेगा । देश को स्वतन्त्र हुए 39 वर्ष हो चुके हैं; परन्तु सहकारिता के सम्बन्ध में हमारी उपलब्धियां केवल आलोचनाओं एवं बुराइयों तक ही सीमित रह गयी हैं, जबकि लक्ष्य इसके विपरीत था । आखिर ऐसी कौन-सी बात है जिससे हमें यह प्रतिफल दिखाई दे रहा है । सन् 1904 में सर्वप्रथम यह विचार अपनाया गया । उस समय देश परतंत्र था । अतः विदेशी शासकों ने अपने हितों को ध्यान में रखकर इसे ज्यादा पनपने नहीं दिया । परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देशवासियों को ही यह कार्य-भार सौंपा गया । फिर भी अभी तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं । अतः इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । सर्वप्रथम तो यह तय करना होगा कि सहकारिता को वास्तविक रूप में हम ग्रामीण जीवन में उतारना चाहते हैं या घोषणा पत्रों तथा सरकारी एवं सहकारी दिखावे के रूप में इसे कार्यालयों तक ही सीमित रखना चाहते हैं । वास्तव में सहकारिता कोई सैद्धान्तिक बात नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध तो सामान्य व्यक्ति की भावना से है जहां निश्चित रूप से यह अपने उद्देश्यों में सफल हो सकती है ।

हमारे देश के सर्वांगीण विकास की दो प्रमुख धाराएं हैं— (1) ग्रामीण विकास, (2) शहरी विकास। ग्रामीण विकास का सम्बन्ध देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या से है, जबकि शहरी विकास का सम्बन्ध देश की 30 प्रतिशत जनसंख्या से है । यातायात एवं संचार की सुविधाओं ने देश में शहरीकरण को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है । हर व्यक्ति किसी-न-किसी बड़े शहर में रहना चाहता है, भले ही वहां का जीवन कष्टपूर्ण हो । अतः हमें विकास की दिशा को पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मोड़ना होगा और इस कार्य के अन्तर्गत हमें गांवों में शहरीकरण को प्रोत्साहन देना होगा, अर्थात् वे सब सुविधाएं जिनके कारण व्यक्ति गांवों से शहर की ओर भाग रहा है, गांवों में उपलब्ध करनी होंगी । इस महत्वपूर्ण कार्य को सहकारिता के माध्यम से ही सम्पन्न किया जा सकता है । गांधी जी भी कहा करते थे : "बिना सहकार नहीं उद्धार"।

लेकिन सहकारिता आन्दोलन मुख्यतः सरकारी नीतियों तथा कार्रवाइयों का परिणाम है । एक लम्बे समय तक सरकार ने इस पर अपना नियंत्रण रखा, जिसके फलस्वरूप स्वतन्त्रता के पश्चात् केवल वही नेता समितियों पर अपना वर्चस्व कायम रख सके जिन्होंने सरकार पर कुछ प्रभाव डालने का प्रयास किया ।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था : सहकारियों का कार्यक्षेत्र

सहकारिता और उसके उद्देश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढांचा एवं क्षेत्र है; वह सम्पूर्ण विकास की दृष्टि में सिर्फ सहकारिता का ही कार्यक्षेत्र हो सकता है ।

आज भारत की आर्थिक व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास पर आधारित है । भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी भारत के लगभग 6 लाख ग्रामों में रहती है जो कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योगों पर आश्रित है । शेष 30 प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं । भारत भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 90% भूमि का उपयोग किया जाता है । वन 6.57 करोड़ हैक्टेयर में फैले हैं तथा बोई गई भूमि का क्षेत्रफल 13.94 करोड़ हैक्टेयर है और फसलें 16.40 करोड़ हैक्टेयर में उगाई जाती हैं, किन्तु सिंचित क्षेत्रफल केवल 23 प्रतिशत (फसली क्षेत्र का) है । आज भी सम्पूर्ण देश में 7.05 करोड़ कृषि जोतें हैं और औसत जोत का क्षेत्रफल 2.06 प्रति हैक्टेयर आता है । खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 80 प्रतिशत तथा अन्य फसलें 20 प्रतिशत उत्पादित की जाती हैं । राष्ट्रीय आय में कृषि उत्पादन से होने वाली आय लगभग 48 प्रतिशत है ।

परम्परागत रूप से चली आ रही भारत की भौगोलिक, सामाजिक व्यवस्था में यह बात निर्विवाद हो चली है कि आरम्भ से ही यह एक कृषि प्रधान देश रहा है और भविष्य में भी यह आधार बना रहेगा; ऐसी धारणा सभी की है । इसलिए ग्रामों का देश भारत सहकारिता के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र है । जहां सहकारिता अपने सभी उद्देश्यों को ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सहज ही प्राप्त कर सकती है ।

ग्रामीण विकास—श्रेष्ठतम आधार

देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या का विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना अनिवार्य ही नहीं है वरन् एकमात्र श्रेष्ठतम विकल्प है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राजनीतिक आन्दोलन के साथ ही ग्रामीण विकास का नारा दिया था; क्योंकि, "भारत ग्रामों में निवास करता है" । ग्राम उनके विकास कार्यक्रम का आधार हैं । भारत के प्रत्येक व्यक्ति को खाना, कपड़ा, रोजगार उपलब्ध कराना गांधी जी का एकमात्र लक्ष्य था । गांधीजी के विचारानुसार आदर्श ग्राम पूर्णतया स्वावलम्बी होना चाहिए, घरों में पर्याप्त प्रकाश एवं हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, वे सभी स्थानीय साधन-सामग्री से सम्पन्न होने चाहिए । उनमें पानी की उचित व्यवस्था के साथ-साथ आपसी भेद-भाव मिटाने के लिए सार्वजनिक मिलन-स्थल भी होना चाहिए । सार्वजनिक चरागाह, दुग्धशाला, शिक्षा संस्थाएं, जिनमें औद्योगिक शिक्षा उपलब्ध हो तथा अपनी पंचायत प्रत्येक ग्राम में होनी चाहिए, रक्षा के लिए ग्रामरक्षक भी होना चाहिए—ऐसी थी गांधीजी की कल्पना जिसे हम व्यावहारिक स्वरूप में परिवर्तित करने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं ।

कार्यक्रम एवं प्रभाव

विगत समय में ग्रामीण विकास तथा भारत के ग्रामों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विविध कार्यक्रम हाथ में लिए गए, नये परिवर्तन किये गये तथा प्रयोगात्मक मार्गदर्शी परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं–

मार्तण्ड परियोजना (1921), बड़ौदा का ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य (1932), मद्रास की फिको विकास योजना (1946), महेवा परियोजना (1948), सामुदायिक विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय प्रसार सेवा (1952), सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम (1960-61), लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, "ग्रीन रिवोल्यूशन", "व्हाइट रिवोल्यूशन" आदि.

कार्यक्रम/योजनाओं के सिद्धान्त एवं व्यवहार में अन्तर होना स्वाभाविक है और यही समस्या उपरोक्त कार्यक्रमों में परिलक्षित हुई जिस कारण विकास कार्यक्रम में व्यवधान पड़ा । कार्यक्रम में मुख्य समस्याएं इस प्रकार थीं:—

(क) वास्तविक मापदण्ड के आधार पर सम्भावित लाभ-भोगियों की उचित पहचान ।
(ख) समर्पित एवं वचनबद्ध तंत्र के अभाव के कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया में व्यवधान ।
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के अपेक्षाकृत धनी तथा प्रभावशाली वर्गों की ओर से निहित स्वार्थ के प्रति दबाव ।
(घ) कार्यक्रम के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव ।
(ङ) सहकारी विभागों, अभिकरणों आदि में आपसी तालमेल का अभाव ।
(च) कार्यक्रम के विश्लेषण करने एवं मार्गदर्शन देने हेतु उचित मशीनरी का अभाव ।
(छ) आधारभूत वित्त संस्थाओं एवं स्रोतों का अभाव तथा प्रशासनिक एवं बैंकिंग व्यवस्था की कुव्यवस्था ।
(ज) ग्रामीण विकास कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए ऋण के उपयोग की देख-रेख न करना आदि ।

राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम

राज्यों के सहकारिता मंत्रियों ने 1978 में हुए सम्मेलन में

राष्ट्रीय आयोजन तथा विकास में सहकारी आन्दोलन की भूमिका और सहकारी आंदोलन के लोकतंत्री स्वरूप तथा सहकारी संस्थाओं की व्यापार कुशलता को बढ़ावा देने व बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास के लिए निम्न संकल्प किए–

1. सहकारी समितियों का निर्माण विकेन्द्रित, श्रम प्रधान ग्रामोन्मुख आर्थिक विकास के एक प्रमुख साधन के रूप में किया जायेगा।

2. सहकारी आन्दोलन का विकास "निर्बलों की ढाल" के रूप में किया जाएगा। छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के साधारण उपभोक्ताओं को सहकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ज्यादा मौका दिया जाएगा।

3. सम्पूर्ण तथा व्यापक ग्रामीण विकास के लिए ऋण, कृषि निवेश की आपूर्ति, डेयरी, कुक्कुट पालन, मछली पालन, सुअर पालन सहित कृषि उत्पादों, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के विपणन और वितरण में सम्बन्ध मजबूत बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत, जीवन्त तथा समन्वित सहकारी प्रणाली बनाई जाएगी।

4. सहकारी कृषि संसाधनों और औद्योगिक इकाईयों का (प्रत्येक स्थान-ग्राम एवं शहर में) जाल बिछाया जायेगा जिससे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच लाभकर आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकें।

5. उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (शहर तथा ग्राम, दोनों में) मजबूत हो और उपभोक्ता संरक्षण को सहारा मिले, तथा वह मूल्य स्थिरीकरण का साधन बन सके।

समग्र/एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संकल्पना (1980)

ग्रामीण विकास को अब राष्ट्रीय उन्नति और सामाजिक कल्याण के लिए एक "अनिवार्य शर्त" अनुभव किया जाने लगा है। समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्र के विकास की ही नहीं, बल्कि ग्रामीण समुदायों, जिनमें हमारा राष्ट्र समाविष्ट है, के विकास की है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को समग्र राष्ट्रीय उत्पादन एवं वर्तमान प्रति व्यक्ति आय में न्यायपूर्ण अंश प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार समग्र विकास कार्यक्रम का प्रयोग इन कार्यों से जुड़ा है :

(क) आय, रोजगार एवं उत्पादन की वृद्धि एवं अधिकतम उपयोग जिससे लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके।
(ख) जनसंख्या के कमजोर वर्गों के प्रति विकास के आनुपातिक लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ सुनिश्चित करना।
(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों, रोजगार, शिक्षा, जीवनस्तर, स्वास्थ्य, पेयजल परिवहन, बिजली आदि को पूर्ण करना।
(घ) काम के लिए अनाज कार्यक्रम से बेकारी दूर करना तथा उद्योगों की स्थापना।
(ड़) सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थापना का निर्माण।
(च) गरीबों की भलाई के लिए विद्यमान संस्थाओं एवं संगठनों को नया मोड़ देना।
(छ) विशेषकर ग्रामीण गरीबों को बचाने के लिए उपयुक्त संगठन की स्थापना।
(ज) ग्रामीण विकास केन्द्रों को विपणन केन्द्र के रूप में मान्यता देना तथा इस प्रकार उनमें सभी तकनीकी, विकास रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

समग्र ग्रामीण विकास कार्य को सही दिशा में करने के लिए "खण्ड स्तरीय विकास कार्यक्रम" के अतिरिक्त कोई अन्य प्रथा उपयुक्त न होगी, ऐसा विशेषज्ञों का मत रहा है। विकास खण्ड ही विकास का आधार माना गया है जो राष्ट्रीय विकास योजना निर्माण में विशेष योगदान देता है।

उद्देश्य नेतृत्व के लिए ठोस कदम

आज हम जिस समाज के सदस्य हैं, उसकी नींव में आश्वासन और अविश्वास का सम्मिश्रण है। इस सब के पीछे जिस एक स्वार्थी का अदृश्य हाथ है, वह है आज की लाभ वृत्ति जिसके कारण सहकारी संस्थाएं अपने उद्देश्य को विकास का रूप नहीं दे पाईं। इसलिए पुन: विश्वासपूर्ण नेतृत्व के लिए दृढ़ संकल्प सहकारी संस्थाओं को चाहिए कि उन तमाम कारणों, जिसको लेकर उनका नेतृत्व लड़खड़ा सा गया है, के लिए प्रयास करें–

(1) राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करना

हालांकि अब यह पूर्णतया सम्भव नहीं; लेकिन कुछ प्रयासों से इसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। वह यह है कि एक सहकारी सतर्कता आयेग का गठन किया जाये। वह उन बेइमान निदेशकों को दंडित करें जो समिति के विरुद्ध कार्य करते हैं।

(2) नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और सक्षम समिति का होना

सहकारी समितियों के स्वस्थ विकास के लिए यह आवश्यक है कि सहकारी कर्मचारियों का चयन कर उनकी श्रेणी तैयार की जाय और उसे विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों के राज्य स्तरीय संघ को सौंपा जाये; ताकि उचित चुनाव गुण अवगुण के आधार पर, पदोन्नति के अवसर, अच्छा वेतन, नौकरी की सुरक्षा के साथ

सहकारी समितियों से अपनी संस्था के लिए निर्भय और निष्पक्ष होकर वे कार्य कर सके । एक बार यदि यह परिपाटी शुरू हो जाय तो कोई भी व्यक्ति स्वार्थ या अन्य उद्देश्य से निदेशक के रूप में चुने जाने का प्रयास नहीं करेगा ।

(3) नेतृत्व की परिपक्वता के लिए सहकारी शिक्षा को अनिवार्य करना

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में डिग्री बटोर कर बेरोजगारों की पंक्ति में खड़ा होने के सिवा ऐसी कोई बात नहीं झलकती जिसमें युवावर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो नेतृत्व की बात सोचें । इसलिए जरूरी है—स्कूलों तथा कालेजों में प्रारम्भ से ही सहकारी शिक्षा अनिवार्य की जाये ताकि छोटी उम्र से ही सहकारी नेतृत्व की बात व्यावहारिक रूप में प्रकट हो । पदाधिकारियों के लिए नियमित रूप से गोष्ठी का आयोजन होना चाहिए और यदि पदाधिकारी किसी संगठन में पूर्णकालिक या अंशकालिक काम करते हैं तो उन्हें उचित वेतन या मानधन दिया जाना चाहिए । जिससे गलत रास्ते से पैसे लेने जैसी बातें बन्द हों ।

(4) संचालन के लिए योग्य व्यक्ति का चयन

जरूरी है एक बार सहकारी कानूनों में संशोधन करना । प्राय: देखा जाता है कि सहकारी समितियां अपने संचालन के लिए ऐसे व्यक्ति को कार्यभार सौंप देती हैं जो उसके कार्य संचालन से अनभिज्ञ है । ऐसा ठीक नहीं । इससे आपसी वैमनस्य बढ़ता है । लोग आलसी होने लगते हैं । इसलिए जरूरी है अपनों में से ही यानी सहकारियों में से ही किसी योग्य व्यक्ति को कार्यभार सौंपना । उन्हें ही सम्मानित करना । लेकिन यहां भी इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि चुना गया व्यक्ति योग्य हो, निश्चित रूप से अपने में चुना गया व्यक्ति दिये गये कार्यभार का स्वागत करेगा, खुद पर गर्व करेगा साथ ही सहकारिता और सहकारियों के बीच वफादार भी रहेगा । तभी प्रतियोगिता की भावना से ओत-प्रोत हो यह सहकारिता आगे बढ़ेगी ।

उपसंहार

वर्तमान समय में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, औद्योगिक सहकारी संस्थाएं, सहकारी कृषि समितियां, सहकारी विपणन समितियां, सहकारी उपभोक्ता समितियां, ग्रामीण विद्युत सहकारिताएं आदि अनेकों संस्थाएं कार्य कर रही हैं; परन्तु इनके बारे में जानकारी नहीं है या इन संस्थाओं से उसके द्वारा कार्य कराना उसके बस की बात नहीं है । वास्तव में इन संस्थाओं का अधिकाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के कुछ सम्पन्न वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को मिला है । इस कारण सामान्य ग्रामीण व्यक्ति को इन संस्थाओं के कार्यों में कोई रूचि नहीं है । इसी तरह की स्थिति शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता व सहकारी समितियों आदि के सम्बन्ध में भी देखने को मिलती है । अत: अब यह विचार करने का समय आ गया है कि क्या हम प्रतिवर्ष सहकारिता सप्ताह मना कर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को हल कर सकते हैं ? या इससे सामान्य ग्रामीण व्यक्ति के मन में इन संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ेगा ?

आज आवश्यकता इस बात की है कि सच्चे दिल से जन-कल्याण एवं राष्ट्र-कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर इस बात पर विचार किया जाय कि देश में इतनी बड़ी मशीनरी एवं करोड़ों रूपयों के प्रावधान के बावजूद भी सहकारिता का कार्यक्रम सामान्य ग्रामीण व्यक्ति के लिए लाभप्रद क्यों नहीं हो सका ? युवा पीढ़ी क्यों सहकारिता के नाम से आक्रोश में आ जाती है ? इसका संक्षेप में यही उत्तर है कि सहकारिता विभाग ने अपनी मूल भावना को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया है और जो कार्य किया है वह इतना नगण्य है कि सामान्य ग्रामीण व्यक्ति का विश्वास अर्जित नहीं कर सकता ।

इसलिए अब जरूरी है ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संस्थाओं को निम्न प्रकार से प्रयोग में लाने की–

(क) सहकारी संस्था को ग्राम विकास योजना का प्रमुख अभिकरण, योजना निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग माना जाए । सहकारी संस्थाओं का ग्राम पंचायत तथा अन्य विकास अभिकरण से पूर्ण समन्वय स्थापित रहे ।

(ख) ग्राम की सम्पूर्ण आवश्यकता में से अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व सहकारी समितियों को दिया जाए ।

(ग) ग्राम विकास योजना के लिए भी आर्थिक स्रोत के रूप में ग्रामीण सहकारी संस्था को प्रमुख स्थान दिया जाए ।

(घ) सहकारी संस्था, ग्राम स्थित सभी प्रकार के अभिकरणों में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व संभाले ।

(ड.) "ग्राम अंगीकृत योजना" को समग्र ग्रामीण विकास योजना का आधार बिन्दु मानकर कार्यान्वित किया जाय । इस कार्यक्रम को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाएं भी अपना रही हैं ।

ग्राम विकास रणनीति का एकमात्र साधन-सहकारिता

उद्देश्यों तथा विचारधारा की दृष्टि से ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सहकारी संगठन एक ही विषय के दो पहलू हैं । दोनों का मुख्य उद्देश्य समाज का आर्थिक उत्थान करना एवं शोषण रहित समाज की स्थापना करना है । अन्तर केवल इतना है कि ग्रामीण विकास को कार्यक्रम की संज्ञा देकर सहकारिता के साधन का प्रयोग करना है ।

सहकारिता की परिधि के अन्तर्गत सभी प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम आते हैं, चाहे वे कृषि, विपणन, आपूर्ति, उद्योग, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी भी संबंधित क्रिया से जुड़े हों । कहने का तात्पर्य यह है कि सहकारिता के लिए "जहां न आये रवि वहां जाये कवि" वाली कल्पना साकार होती है । इतना ही नहीं ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, प्रत्येक स्तर पर सहकारी संगठन कार्यरत ही नहीं, निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं । अतएव ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक प्रकार से सहकारिता का ही एक अंग माना जा सकता है क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र ग्राम से भी आगे हैं ।

वास्तविक रूप से सहकारिता आन्दोलन का प्रादुर्भाव ग्रामवासियों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ही हुआ । सहकारिता ने भारत में 90 प्रतिशत ग्रामों से अधिक को अपनी कार्य परिधि कार्यक्षेत्र में ले लिया है । औसतन प्रत्येक चार ग्रामों के बीच एक ग्रामीण सहकारी समिति कार्यरत है । सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने से ग्राम जन-समुदाय अपने -आप ही सहकारिता की प्रगति को ग्रामीण विकास मानने लगा है । सहकारिता की मुख्य रणनीति स्थानीय संसाधनों को विकसित कर उनका जनता के लिए उपभोग करना है जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुरूप है । नियोजकों तथा विशेषज्ञों के साथ एक कमी रही है कि उन्होंने सहकारिता सहकारी इकाइयों को मात्र "इनपुट" प्रदान करने वाली संस्थाएं समझा, जबकि वास्तविक रूप से ये संस्थाएं सभी प्रकार का कार्य करने में न केवल सक्षम है वरन कर भी रही हैं और इस प्रकार ये ग्रामीण विकास के "मुख्य केन्द्र" के रूप में काम कर रही हैं । इनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना वर्तमान स्थिति में आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है । सहकारिता का संगठनात्मक ढांचा, कार्यप्रणाली, सिद्धान्त, जन-समुदाय की साझेदारी, वित्तीय सुदृढ़ता, विस्तार, आदि ऐसे आधार हैं जिनसे ग्रामीण विकास का मुख्य तथा एकमात्र साधन "सहकारिता" ही सिद्ध किया जा सकता है । □

लीची बगान, पंखा टोली,
रमना, मुजफ्फरपुर-842002

गुणों से भरपूर-सौंफ

अभय कुमार जैन

सौंफ का प्रयोग मसालों के रुप में, सब्जी व अचार में खुशबू लाने एवं भोजन के पश्चात् पान के विकल्प के रुप में प्रयोग किया जाता है । यह मुख शुद्धि करने वाली रुचिकारक और तृप्तिदायक है । इसके अलावा इसके कई औषध प्रयोग भी हैं । आयुर्वेद चिकित्सा में सौंफ के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे त्रिदोषनाशक, बुद्धिवर्धक कफ नाशक, पाचक व नेत्र ज्योति वर्द्धक आदि रुपों में मान्यता दी गई है ।

यदि आपको पेट दर्द है तो भुनी हुई सौंफ चबाइये तुरन्त आराम मिलेगा, पाचन क्रिया दुरूस्त हो जायेगी ।

सौंफ की ठण्डाई बनाकर पीजिये इससे गर्मी शांत होती है और जी मचलाना बन्द हो जाता है ।

मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों में सौंफ अत्यन्त गुणकारी है यह मस्तिष्क की कमजोरी के अतिरिक्त दुर्बलता, चक्कर एवं पाचन शक्ति के लिए लाभकारी है । इसके निरन्तर सेवन से दृष्टि कमजोर नहीं होती है तथा मोतियाबिंद रुक जाता है ।

पेट में वायु का प्रकोप हो तो दाल अथवा सब्जी में थोड़ी सी सौंफ छोंक कर कुछ दिनों तक प्रयोग कीजिये ।

यदि कब्ज की शिकायत हो तो रात्रि को सोते समय गुनगुने पानी के साथ सौंफ के चूर्ण का इस्तेमाल करें ।

* आपको खट्टी डकारें आ रहीं हों तो थोड़ी सी सौंफ पानी में उबाल कर मिश्री मिलाकर पीजिये । दो तीन बार के प्रयोग से आराम मिल जायेगा ।
* सौंफ रक्त व रंग को साफ करने वाली एवं चर्म रोग नाशक है । प्रतिदिन 10 ग्राम सौंफ सुबह शाम बिना मीठा मिलाये वैसे ही चबा-चबा कर निरन्तर कुछ समय तक सेवन करने से रक्त व रंग साफ होता है ।
* हाथ पांव में जलन होने की शिकायत होने पर सौंफ के साथ बराबर मात्रा में धनिया कूट छानकर मिश्री या शक्कर मिलाकर खाना खाने के पश्चात पांच छः ग्राम मात्रा लेने से कुछ ही दिनों में लाभ हो जाता है ।
* बच्चों के पेट के रोगों में सौंफ का चूर्ण दो चम्मच एक कप पानी में अच्छी प्रकार उबालें और छानकर ठण्डाकर शीशी में भर लें इसे एक चम्मच की मात्रा से दिन में तीन बार बच्चे को पिलाने से पेट का अफारा, अपच, दूध फेंकना, मरोड़ा आदि शिकायतें ठीक हो जाती हैं ।
* जिन व्यक्तियों को संग्रहणी की बीमारी है उन्हें भोजन के पश्चात् आधी कच्ची आधी भुनी हुई सौंफ तैयार करवाकर नियमित सेवन करना चाहिये ।
* गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन भोजन के पश्चात् सौंफ चबाते रहने से संतान गौर रंग की होती है ।
* पाचन क्रिया में हुई गड़बड़ के कारण उत्पन्न मुंह की दुर्गन्ध दूर करने के लिए सौंफ को ऐसे ही साधारण रुप में चबाकर रस चूसें ।
* सौंफ के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर सिर पर दिन में दो तीन बार हल्की मालिश करने तथा उसी तेल को सूंघने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है ।
* गले की खराश में सौंफ को मुंह में चबाते रहने से बैठा गला साफ हो जाता है ।
* यदि नजला जुकाम हो जाये तो 250 ग्राम पानी में 10-12 ग्राम सौंफ पीस कर उबालें जब पानी आधा रह जावे तब छानकर शक्कर मिलाकर प्रातः एवं सायं सेवन करें ।
* आंखों की कमजोरी में 20 ग्राम सौंफ को बारीक पीस कर उसमें 20 ग्राम खांड मिलाइये । यह मिश्रण रात को गाय के दूध के साथ खाइये । आंखों की कमजोरी दूर होकर नेत्र ज्योति बढ़ेगी ।
* 25 ग्राम सौंफ को 250 ग्राम पानी के भिगो दें—एक घन्टे पश्चात् उस सौंफ के पानी को एक-एक घूंट पीने से तीव्र प्यास मिटती है । इसके अलावा हिचकी, हिक्का, उबकाई में भी सौंफ का पानी अमृत तुल्य है । □

'तृप्ति' बन्दा रोड़,
भवानी मण्डी (राज.)

तिलहन की फसलों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाय

कृषि राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि वे देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को उचित प्रोत्साहन देने के साथ-साथ वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, विकासात्मक तथा बाजार नियमनतंत्र का विकास करें ।

मन्त्री महोदय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन (सार्क) देशों के वैज्ञानिकों की दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन कर रहे थे । बैठक मूंगफली के बारे में बहुस्थलीय प्रयोग का कार्यक्रम तैयार करने के लिए आयोजित की गयी । मंत्री महोदय ने कहा कि तिलहनों व तेलों से सम्बन्धित सभी गतिविधियों में समन्वय के लिए वर्ष 1986 में ही एक समयबद्ध कार्यक्रम युक्त विशेष मिशन शुरु किया गया है जिसमें इनके उत्पादन पर विशेष बल दिया गया ।

श्री मकवाना ने कहा कि हालांकि तिलहन पौष्टिक तत्वों से भरपूर फसल है किन्तु इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत कम साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं । कुल फसल का 86 प्रतिशत से भी कुछ अधिक भाग वर्षा के पानी पर आधारित है ।

वनस्पति तेल के उत्पादन की घरेलू क्षमता को बढ़ाने व आयात कम करने की तत्काल आवश्यकता बताते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक उपज वाले तिलहनों व सही उत्पादन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री मकवाना ने कहा कि सातवीं योजना के दौरान 170 करोड़ रु. लागत की राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है । इस परियोजना का व्यय राज्य व केन्द्र समान रुप से वहन करेंगे ।

मूंगफली के उत्पादन की चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है । यहां 78 लाख हैक्टेयर भूमि पर मूंगफली की खेती होती है जिसमें लगभग 70 लाख टन मूंगफली पैदा होती है । यह फसल पशुओं के लिए भी पोषक चारे का स्रोत है ।

श्री मकवाना ने कहा कि वर्ष 1967 से, जबकि तिलहनों (मूंगफली) के बारे में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान विकास परियोजना की स्थापना हुई थी, 43 किस्मों का विकास कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक स्तर पर खेती के लिए जारी किया गया ।

मंत्री महोदय ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि सार्क देशों के बीच तिलहनों के विकास की जानकारी का आदान प्रदान करें तथा किस्म विकास के लिए संसाधन मुहैया कराएं । उन्होंने कहा कि लोगों व उद्योगों की जरुरत के तेल के उत्पादन के इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन देशों को एकजुट हो जाना चाहिए । □

जवाब नहीं दीनानाथ घास का

दुर्गाशंकर त्रिवेदी

"अरे चौधरी तुम्हारे पशु तो लगता है कि घी मक्खन मिला पशु आहार खाते हैं। देखते ही नजर लग जाएगी ऐसा स्वास्थ्य है इनका तो।"

"नहीं भाई जी। खुराक तो कोई खास नहीं है। पर लगता है, यह दीनानाथ की माया है। उसी की कृपा है।"

"कौन दीनानाथ? क्या कोई पशु चिकित्सक है या कोई और है।"

"नहीं भाई जी। दीनानाथ न तो पशु चिकित्सक है और न ही कोई और है।

"तो फिर क्या कोई पशु आहार है।" "नहीं जी पशु आहार, उस माने में तो नहीं है जो आपने सोचा है।"

"तो फिर पहेली क्यों बुझा रहे हो बताते क्यों नहीं कि यह दीनानाथ क्या चीज है जो तुम्हारे पशुओं पर ईर्ष्या करने को मजबूर कर रही है।"

"अरे भाई जी। यह दीनानाथ एक घास है। यह चारा पशुओं के स्वास्थ्य के लिए मक्खन की तरह पौष्टिक है।"

"अरे गजब हो गया यार। मुझ जैसे प्रगतिशील किसानी के घमण्ड में चूर रहने वाले तक को पता नहीं। जरा मुझे भी तो बताओ, क्या है यह दीनानाथ घास और कैसे उपलब्ध की जा सकेगी।

दो प्रगतिशील किसानों की यह चर्चा कोई नई बात नहीं है। शब्द चाहे ये रहें या और। दीनानाथ घास की चर्चा अब चौपाल से खेतों तक जा पहुंची है। उसका बीज, बीज परीक्षण केन्द्रों और जबलपूर कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाओं की कैद से छिटककर देशभर में फैल चुका है। पशु पालकों में जिस तेजी से यह घास लोकप्रिय हुई और कोई इतनी तेजी से नहीं हुई।

लीजिए आप भी इस पशु स्वास्थ्य संवर्धक घास से परिचय कर ही लीजिए।

सामान्य परिचय

जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय की किस्म जे.पी. 12 से पहले भी दीनानाथ घास की कई किस्में थी पर वे प्रचारित कम थीं। यह एक वर्षीय दीनानाथ घास (3) घास है, जिसे पशु बहुत ही चाव से खाते हैं। चूंकि इसके चारे में यदि उसे 60 दिन की आयु में काटा जाए तो प्रोटीन की मात्रा 7 से 8 प्रतिशत तक होती है। चारे में सहज ही पचने योग्य रेशों की मात्रा 25 से 30 प्रतिशत तक होती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में भी यह लोकप्रिय हो चली है। शीघ्र हरा चारा और उच्चस्तरीय पौष्टिक गुणों ने इसे पशुपालकों में लोकप्रियता प्रदान की है। यदि उन्नत विधि अपनाकर इसकी खेती की जाए तो पशुओं की चारे की समस्या हल करने में यह घास कमाल दिखला सकती है।

भूमि की तैयारी

वैसे तो इसकी खेती कम उपजाऊ भूमि में भी की जा सकती है, किन्तु दुमट (दोमट) या बलुई दोमट भूमि दीनानाथ घास (4) के लिए कृषि विशेषज्ञों ने श्रेष्ठ ठहराई है। खेत में जल निकास की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए क्योंकि पानी भरा रहे तो इसकी जड़ें सड़ने लगकर उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। पौधों के उचित जमाव के लिए भूमि को खूब गहरी जोत कर 4-5 बार हैरो से मिट्टी को भुर-भुरी कर लेनी चाहिए। मिट्टी जितनी मुलायम होगी खेत की उतनी ही पौध अच्छी जम कर अधिक चारा देगी।

बुआई व्यवस्था

इसकी बुआई जुलाई, अगस्त में कूड़-विधि से करना अच्छा रहता है इसके लिए हल के पीछे कूड़ों में 25 से.मी. की दूरी पर बीज डेढ़ से दो से.मी. तक की गहराई में बोते हैं। बुआई में उचित अन्तर पर बीज गिरे, इसके लिए बीजों में बारीक मिट्टी या छनी हुई बालू मिलाकर कूड़ में बुआई करने के लिए गिराने से बीजों का जमाव उचित स्तर का होगा।

नर्सरी तैयार करके पौधों को खेत में ठीक जगह रोपकर भी

सरकंडा घास : ग्रामीण आय का सम्भावित स्रोत

एलिजाबेथ फिल्लीपो

हरियाणा और जम्मू के ऊसर वाले क्षेत्रों में लहलहाती रुपहली सरकंडा घासों को देखकर अब कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि ये बंजर इलाके हैं । इस अनुत्पादक भाग में ये कड़ी घासें ग्रामीणों के लिए आय का सम्भावित नया स्रोत उपलब्ध करा सकती हैं । भूमिहीन श्रमिक तथा छोटे किसान और स्त्रियां फर्नीचर की नई डिजाइनें तथा छत की सामग्रियां बनाने और गेहूं की खेती के लिए अनुपयुक्त सूखी भूमि में इसे फसल के रूप में उगाने में डी.एन.ई.एस. तथा सी.ए.पी.ए.आर.टी. के सहयोग से ग्रामीण विकास तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक भाग) के साथ मिल-जुलकर काम करती हैं ।

परम्परा के अनुसार ग्रामीण लोग सादे फर्नीचर और घर की छतें बनाने के लिए सूखी घास इकट्ठी करते हैं । परन्तु आधुनिक डिजाइनों तथा समय की बचत करने वाले उत्पादन के तरीकों को अपनाकर विपणन के लिए मार्ग निर्देश द्वारा उनकी मदद करके उत्पादन और आमदनी-दोनों में सुधार किया जा सकता है । यदि इस घास को छत की सामग्री के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाने लगे तो इससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है और इससे 'बायोमास' का ऊर्जा के रूप में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है ।

इन बातों से ग्रामीण लोगों के लिए सरकंडा घास के सम्भावित उपयोग के बारे में ग्रामीण विकास तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र के उद्देश्यों का पता चलता है । यह केन्द्र ग्रामीण इलाकों में उन क्षेत्रों का पता लगाता है जिन्हें प्रौद्योगिकी निवेश से लाभ होगा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रयुक्त तकनीक कौशलों को खेतों तक पहुंचाने का प्रयास करता है ।

कृषकों को पहले ऐसा लगता था कि खेत की मेड़ों का निर्धारण करने और हल्की मिट्टी को बहने से रोकने के अतिरिक्त इसका बहुत कम उपयोग है । केन्द्र द्वारा इसका उपयोग किए जाने से पूर्व वैज्ञानिक इस घास की उपेक्षा करते थे । खेतों में किए गए परीक्षणों के अनुमानों से संकेत मिलता है कि सीमांत क्षेत्रों से, जहां गेहूं का उत्पादन नहीं हो सकता, प्रति हैक्टेयर 80 टन 'बायोमास' का उत्पादन किया जा सकता है । इसी प्रकार विभिन्न किस्मों के बारे में अभी जांच-पड़ताल नहीं हो पाई है हालांकि 'देसाई' और 'डोला' जैसी किस्में उपयुक्त लगती हैं

सरकंडा सस्ती फसल के रूप में उगाया जा सकता है क्योंकि इसके लिए अधिक उर्वरकों या कीटनाशकों की आवश्यकता बिल्कुल कम पड़ती है हालांकि अभी यह अनुमान लगाया जाना बाकी है कि अतिरिक्त निवेश करने पर क्या इससे इसका आर्थिक उत्पादन और अधिक बढ़ सकता है ।

इस घास को लगाने में दो वर्ष का समय लग जाता है और उसके बाद कई वर्षों तक यह प्राकृतिक रूप से उगी हुई घास की ही तरह, उपलब्ध रहती है । अन्य घासों की तुलना में इसकी मुख्य बात यह है कि इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और सूखा अच्छी तरह सह सकती हैं । इसकी जड़ें खेतों में इतनी ज्यादा नहीं फैलतीं कि अन्य फसलों के लिए ये कोई रुकावट पैदा करें ।

केन्द्र का सरकंडा घास उत्पादन कार्यक्रम फारूखनगर में पुरानी लाल ईंट वाली इमारत में शुरू किया गया है जो कि रेल मार्ग के बिल्कुल निकट है । वहां एक सामुदायिक केन्द्र है जहां से होकर ग्रामीण लोग नियमित रूप से गुजरते हैं ।

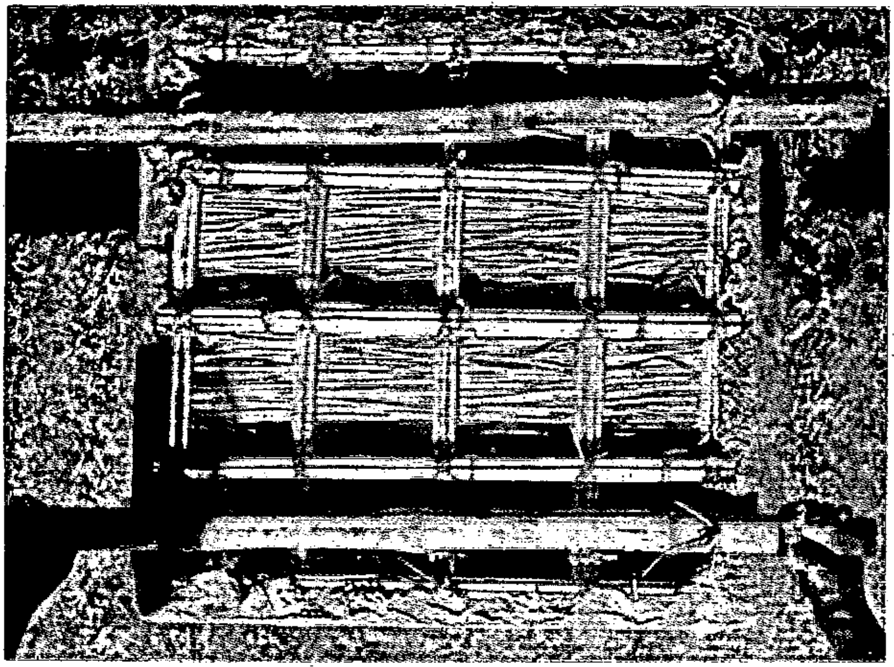

फारूखनगर में छत की ऐसी नई सामग्री की जांच की जा रही है जिसके न तो टपकने या पानी रिसने का भय है और न ही आग लगने का कोई डर है । सरकंडा घास के डंठल या पत्तियों से बना ढांचा जिस पर गारे तथा "बिटुमन" के मिश्रण का लेप किया गया है ।

पास के भूखण्ड में गायों के लिए एक शेड और गोबर गैस की एक इकाई लगाई गई है और वहां विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जैसे— बोगनबीलिया, अंरडी, कैसुरिना, बबूल, प्रसोप्तिया आदि । 'बायोमास' का उत्पादन और अधिक हो सके, इसके लिए उसे गायों के शेड से निकलने वाले मल पदार्थों के साथ रखा जाता है ।

सामुदायिक केन्द्र की स्थापना ग्रामीण विकास तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र के एक अन्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है, वह है— स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र-विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप 'हुनर' में प्रशिक्षित करना ।

इस बात को ध्यान में रखकर सरकडा परियोजना शुरू की गई है परन्तु अभी तक यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि इससे किसको लाभ पहुंचेगा । परम्परा के अनुसार पुरुष फर्नीचर बनाते हैं और रस्सी तैयार करते हैं परन्तु अब स्त्रियां भी अपनी क्षमता का परिचय देने लगी हैं कि वे भी इन कार्यों में सक्षम हैं । पुरुष प्रशिक्षण पाठयक्रमों में शामिल होते हैं परन्तु स्त्रियां धार्मिक नियमों तथा रीति-रिवाजों और जाति प्रथा के कारण इनमें भाग नहीं ले पाती हैं और वे घरों में ही रहती हैं । जो महिलाएं प्रशिक्षण लेना चाहती हैं उन्हें घरों में जाकर प्रशिक्षण दिया जा सकता है और उनकी इस समस्या का हल किया जा सकता है ।

ग्रामीण विकास तथा उपयु
अनुसंधान अधिकारी सित
प्रबंधक के साथ सरकंडा घ

गांव का एक दस्तकार नए डिजाइन का स्टूल बनाते हुए ।

ाकी केन्द्र के वरिष्ठ
ुदायिक केन्द्र के
का निरीक्षण करते हुए ।

अक्तूबर और नवम्बर महीनों के दौरान 6-7 फुट लम्बे सूखे डंठलों को काटकर जमा कर लिया जाता है । पत्तियों को छत की सामग्री के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जाता है या गोबर गैस में बायोमास के रूप में या खुम्बी उत्पादन के लिए कम्पोस्ट उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है । ग्रामीण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र के कार्य-कलापों में यह कार्यक्रम भी शामिल है । डंठलों का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है और डंठलों तथा पत्तियों दोनों का उपयोग नई छतें बनाने के लिए किया जाता है । इसका एक अन्य उपयोग है— लुगदी बनाना जिसमें समूचे पौधे का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है ।

प्रायोगिक तौर पर घास और डंठल से छत के लिए 'पेनल' बनाकर पत्तियों के साथ गारे और "बिटमेन" का घोल तैयार करके ऐसी छतें बनाई जा सकती हैं जो आग से जल न सकें और जिसमें पानी न रिस सकें । इनके डिजाइन इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि ये भयंकर से भयंकर मानसून का मुकाबला कर सकें । परंन्तु मुख्य परियोजना का उद्देश्य फर्नीचर की विकसित डिजाइनें तैयार करना है जो स्थानीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें और दिल्ली के खरीदारों की पसंद बन सकें तथा वे विदेशी खरीदारों को भी आकृष्ट कर सकें । कुर्सियां, सोफे, परदे और सजावट की चीजें तथा बाड़े आदि की तीन डिजाइनें तैयार की गई हैं ।

सरकंडे के डंठल से ढांचा तैयार किया जाता है, इससे रस्सियां भी बनती हैं, इससे धागे निकालकर सीटों और उसके पिछले हिस्से की बुनाई की जाती है । रस्सी बनाने वाली दो मशीनें विकसित की गई हैं जिनका इस्तेमाल सामुदायिक केन्द्र में हाथ से घुमाकर रस्सी बनाने वाले उपकरण के स्थान पर किया जाएगा । इसमें से एक मशीन का विकास सरकारी अनुसंधानकर्त्ताओं ने किया है । व्यापारिक 'मॉडल' 500 रुपये से 600 रुपये में उपलब्ध हैं ।

ग्रामीणों को कई प्रकार से लाभ होता है । भूमिहीन श्रमिक या उसके परिवार के लोग सामुदायिक केन्द्र में काम कर सकते हैं जिसमें प्रति घंटे समय के हिसाब से मजदूरी दी जा सकती है और उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं तथा तैयार सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है और उनकी आमदनी में प्रतिदिन 20 रुपये या इससे ज्यादा की वृद्धि हो सकती है जबकि खेती से उन्हें प्रति दिन 15 रुपये की ही औसत आमदनी हो सकती थी ।

वे इसकी आकांक्षा करें या कच्चे माल को खरीदने के लिए साधन जुटाएं, इसके लिए भूमिहीन मजदूर तथा उसके परिवार के लोग घर पर काम कर सकते हैं । छोटे किसान खेतों से कच्चे माल की सप्लाई के आधार पर अपने कार्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं ।

आजकल कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का छोटा-मोटा काम-धंधा शुरू करने का इच्छुक है, उसे मामूली ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध हो सकता है । केन्द्र में विभिन्न उत्पादनों के लिए जो तालिका तैयार की गई है उसमें 'ए' टाइप की कुर्सी की रस्सी के लिए 1.25 रुपये प्रति कि.ग्राम, डंठल के लिए 4 रुपये प्रति कि.ग्राम,पत्तियों के लिए 1.50 रुपये प्रति कि.ग्राम तथा 6 घंटे काम करने के लिए 20 रुपये। इस प्रकार एक कुर्सी बनाने की सीधी लागत 36 रुपये पड़ती है । साइकिल पर घूम-घूमकर बिक्री करने वाला या स्थानीय बाजार में बेचने वाला व्यक्ति प्रत्येक 'आइटम' की खुदरा कीमत 40 रुपये रखकर भी 4 रुपये कमा सकता है ।

बड़े किसान इस घास को फसल के रूप में उगा सकते हैं । प्रयोग के आधार पर रोपाई के लिए घास केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है । केन्द्र से प्राप्त घास के जीवित रहने के आसार 80 प्रतिशत तक रहते हैं लेकिन वर्षा के अभाव में 3000 पौधे प्रति एकड़ रोपने पर इसके पौधों के बचने के आसार 50 प्रतिशत रह जाते हैं परन्तु अभी भी उत्साह बना हुआ है क्योंकि जिस प्रकार की जमीन में इसे उगाया जा सकता है, उसमें प्रायः कुछ नहीं लगाया जा सकता ।

जमींदार अपने कच्चे माल को 0.30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच सकता है या खुदरा बिक्री के लिए भाड़े पर उसका उपयोग कर सकता है ।

फारूखनगर के किसानों के लिए सरकंडा घास की सम्भावना अब वास्तविकता का रूप लेने लगी है । ग्रामीण विकास तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र ने ग्रामीण विकास का जो विशाल कार्य अपने हाथ में लिया है, यह उस दिशा में एक छोटा कदम है परन्तु आशा है कि यह सही दिशा में एक कदम है जो अपने साधनों में सुधार लाने और अपनी समस्याओं के साथ अपने कौशल का और अधिक विकास करने में अन्य ग्रामीण लोगों का मार्ग दर्शन करेगा ।

अनुवाद: राम बिहारी विश्वकर्मा
103 एच, डी-आई.जैड एरिया
सैक्टर IV, नई दिल्ली-110001

इससे अच्छी उपज ली जा सकती है । दीनानाथ घास (5) नर्सरी में पौध एक माह की हो जाए तब कतारों में पौध चोप देना चाहिए । कतारों में बुआई पर 8 से 10 किलोग्राम प्रति बीज लगेगा जबकि पौध लगाने पर 2 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर बीज पर्याप्त रहेगा । पौध के लिए खरीफ के मौसम में बोना हो तो जून में, यदि रबी में बोना हो तो अक्टूबर में नर्सरी के लिए तैयारी कर बोआई कर दें ।

उन्नत किस्में व फसल चक्र

दीनानाथ घास की कई किस्में प्रचलन हैं इसीलिए स्थानीय किसानों ने उनके नाम भी रख लिए हैं । उन्नत किस्मों में पी.पी. 3, पी.पी. 10, पी.पी. 15, जे.पी. 47, एस 2808 तथा जे.पी. 12 बहुत ही अच्छी किस्में हैं । आपके क्षेत्र के लिए अच्छी किस्म कौन सी रहेगी इस पर क्षेत्रीय कृषि विकास अधिकारी या समीपवर्ती कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श कर लें तो उचित रहेगा । दीनानाथ घास *(6)* के साथ फलीदार चारे की फसलें जैसे जोविया, सोयाबीन, राइस बीन, मटर, चना, मेथी आदि भी उगाए जाने से चारे का पौष्टिकता भी बढ़ती है और भूमि का पोत भी सुधरता है । कृषि विशेषज्ञों ने इस का फसल चक्र इस तरह तय किया है । दीनानाथ घास-बरसीन-मक्का-दीनानाथघास-राहंस बीन-जई-बरसीम-बाजरा-लोबिया, खरीफ की फसल में दो तीन कराई के बाद सिंचाई की जरुरत होती है । रबी की फसल में 7से 10 दिन के अन्तर से जरुरत को देखकर पर्याप्त सिंचाई करें पर पानी का भराव नहीं रहे यह ध्यान जरुर रखें ।

खाद और उर्वरक

पौष्टिक गुणों का स्तर उच्चतर बना रहे । इसके लिए खाद तथा उर्वरक देने से फसल को काफी लाभ रहेगा । अच्छे उत्पादन स्तर के लिए 100 से 150 किलोग्राम प्रति हैक्टयर की दर से नाइट्रोजन दें । इस मात्रा में से आधी तो बुआई के पहले खेत में डाल दें और बाकी बची दीनाथघास (7) को बाद खड़ी फसल में टाप ड्रसिंग विधि से छिड़कवा दें । 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलो पोटाश भी प्रति हैक्टेयर की दर से बुआई से पहले से पहले खेत में दें । बुआई से पहले गोबर या मैंगनी की सड़ी खाद भी प्रति हैक्टेयर 3 गाड़ी के अनुमान से डालकर दो तीन गहरी जुताई कर देना चाहिए ।

फसल की सुरक्षा

आम तौर पर दीनानाथ घास पर किसी विशेष बीमारी का प्रकोप नहीं होता । क्षेत्रीय या भूमि की वजह से कोई हो तो ग्राम सेवक या कृषि विस्तार अधिकारी से राय लेकर उपचारित कर लें । खर पतवार से रोक थाम करनी चाहिए । इसके लिए उचित समय पर निराई गुडाई करें । खेत में खर पतवार नहीं होगा तो कीट और रोग आक्रमण नहीं हो पाएगा । पौधों की बढ़ोतरी पहले 30 से 40 दिनों तक बहुत ही धीमी गति से होती है । इससे कई किसान दीनानाथ घास *(8)* घबरा जाते हैं, किन्तु ऐसी घबराहट व्यर्थ है । हाँ, खरपतवार नहीं रहे इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि पोषक तत्व फसल को ही मिलते रहें ।

कटाई और संरक्षण

घास की पहली कटाई बुआई के कोई 70 दिनों के बाद करनी चाहिए यदि अधिक जरुरत हो तो 50 से 60 दिनों में भी काट लीजिए । पौधों को 10 से 12 से.मी. ऊँचाई से ही काटना ठीक रहेगा । दूसरी कटाई पुष्प आने पर करें । तीसरी कटाई के बाद फसल को हॉक देना चाहिए । यदि चारा अधिक हो तो छाया में बांध कर सुखालें या सुखाकर कुट्टी कर लें ।

बीज के लिए उत्पादन

चारे के लिए आपने जो फसल बोई है उसी से बीज भी पैदा किया जा सकता है । यदि बीज लेना हो तो फसल की पहली कटाई करने के बाद इसको बीज आने के लिए छोड़ देना चाहिए । बीज जब अच्छी तरह पक जाए दीनानाथ घास *(9)* तब बालियों के हिस्सों को अलग से काट कर सुखा कर पीट लें, पीटने के बाद भूसा उड़ाकर धूप दिखाकर उचित स्थान पर भण्डारण कर लें । बीज प्रति हैक्टेयर 500 से 800 किलोग्राम तक होते हैं । बचे भाग को काट कर किसी भी घास के साथ कुट्टी बना लें । बीज बुआई से पहले किसी भी कीट नाशक से उपचारित कर लेना उचित रहेगा ।

खुद उगाकर देखिये

दुधारू पशुओं के लिए यह एक बहुत ही पौष्टिक तथा सुपाच्य चारा है । आप अपनी जरुरत के अनुरूप क्षेत्र में इसे उगाकर तो देखिए । एक बार उगा लिया तो पशु का स्वास्थ्य देखकर आप बारबार उगाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे । चारे की समस्या को भी हल करेंगे इसका उत्पादन करके । तो इस बार हो जाए दीनानाथ घास की खेती । ☐

साहित्य सम्पादक, राजस्थान पत्रिका
दैनिक केसरगढ़
जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
पो.ओ. जयपुर-302004

(कहानी)

टूटा घड़ा

सुदेश कुमार सिंह

उसकी आंखों में दो बूंदें आंसुओं की छलक आई थीं और गला भर आया था । वह कुछ भी तो बोल नहीं सका था । तो आप क्या कहते हैं ।

मैं क्या हूं लल्लू, जैसी तुम लोगों की इच्छा । आखिर आपको एतराज क्यों है । यह तो अच्छा ही है, हम लोग अपना-अपना सोचें ।

हां लल्लू, "अब तुम लायक हो गये हो, अब तो तुम अपने अच्छे-बुरे के बारे में सोच सकते हो"—उसने एक सांस के साथ कहा । "यही तो मैं कहना चाहता था भैया, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली ।" इस बार मोहन, जो उसका छोटा भाई था बोला ।

उसने एक कातर दृष्टि मोहन की तरफ डाली । मोहन थोड़ा झेंपते हुए बोला आज के आधुनिक युग में संयुक्त परिवार अच्छा भी नहीं होता । डेवलपमेंन्ट प्रोपर नहीं हो पाता ।

वह कुछ नहीं बोला । मोहन समझा भैया को शायद मेरी बात समझ में नहीं आई है । मेरे कहने का अर्थ है भैया, परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित और अनुकूल अवसर नहीं, मिलता । दिल को मारकर एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत अपने परिवार को ढोना पड़ता है ।

"तुम्हारा पारिवारिक बोध वैज्ञानिक और तुम्हारी परिभाषा भी वैज्ञानिक है, मैं तुम्हें वैज्ञानिक विकास से भी वंचित नहीं रखना चाहता । जैसा तुम लोग चाहो बंटवारा कर लो । मेरी तरफ से पूरी इजाजत है ।"

"इजाजत भर देने से कैसे काम चलेगा भैया, कोर्ट में चलना होगा"— इस बार लल्लू बोला, "मैंने कहा ना पूरी इजाजत है । तुम कागज लाना मैं हस्ताक्षर कर दूंगा । अब इस उम्र में मुझे कोर्ट में क्या ले जायेंगे" "मैं कहता था न, उन्हें एतराज नहीं होगा । भैया आप पूरे आदर्शवादी हैं । अच्छा चलते हैं । कल परसों में कागज बन जायेगा । दोनों ऊपर वाले छत पर चले गये ।

वह समझ नहीं पाया कि मोहन मेरी प्रशंसा करके गया है या मजाक उड़ा कर । वह आदर्श के इस दोहरे अर्थ के बीच फंस गया । वह दिवाल के सहारे उढ़ंग गया और आंखें बन्द कर लीं । अनायास टप-टप दो बूंदे उसके हथेलियों को नम कर गयीं । वह चौंक गया, अरे ! मैं रोता हूं, नहीं मुझे नहीं रोना चाहिए । पिताजी ने कहा था । ठीक ऐसी ही तो बून्दे थीं गर्म और ठन्डी भी । नहीं-नहीं, अभय । तुम रोना मत कभी भी नहीं, मैं मर जाऊं तब भी नहीं । तुम अभय हो तुम्हें भय मुक्त होना चाहिए (अभय जिसे लेखक "वह" कह रहा है) । तुम्हें भारी जिम्मेदारी सम्भालनी हैं,

अभय । अभय का किशोर हृदय उमड़ा आ रहा था । लगता है फफक पड़ेगा । किन्तु पिता की बातें । अजीब प्रेरणा थी उनकी बातों में ।

"ये बच्चे तुम्हारे भाई ही नहीं तुम्हारे बच्चे भी हैं । अभय ! (लल्लू और मोहन पांच और तीन वर्ष के) मुझे दु:ख है कि मेरी गलती का बोझ तुम्हें ढोना पड़ेगा, किन्तु मैं मजबूर हूं । मौत को मैं निकट महसूस कर रहा हूं । तुम्हारी विमाता हृदय की बुरी नहीं है । उनकी बातों का बुरा नहीं मानना । मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा करोगे । फिर भी तुम्हारी हां सुनकर ही मुझे शांति मिलेगी" ।

अभय कुछ बोल नहीं पाया था । बस हथेलियों के बीच उनकी हथेली ले ली थी । किन्तु तत्क्षण सबसे बड़ी भाषा काम कर रही थी । जिसे केवल बाप-बेटे समझ रहे थे, अन्य कोई नहीं ।

और एक दिन कैन्सर के असाध्य रोग ने उस तड़पती और चिन्तित आत्मा को मुक्ति दे दी । सच अभय नहीं रो पाया था । आंसू न जाने कहां सूख गये थे । पत्थर हृदय पिघला नहीं टूट रहा था, चट्टानें ढह रही थीं पर पानी का निशान नहीं था उसकी आंखों में । और तभी से शुरु हुआ यह रेगिस्तानी सफर । अभय ने अपनी मां को नहीं देखा था । लोग कहते हैं जब वह डेढ़ वर्ष का था तब मां छोड़कर चल बसी । पिताजी डाकघर में क्लर्क थे । उन्हें रोज साईकिल से शहर जाना पड़ता था । घर में अभय को देखने वाला कोई नहीं था । विवश होकर उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी थी । करीब दो वर्ष का था अभय उसकी नई मां ने पुचकार कर मां कहना सिखलाया था । नई मां स्वभाव से बुरी तो नहीं थी पर लल्लू के आते ही उनका प्यार बंट गया । अब अभय का वह ध्यान नहीं रख पाती थी । अभय भी थोड़ा कटा-कटा सा रहने लगा था । पिता अपने काम में व्यस्त और मां अपने काम में व्यस्त । अभय की कौन खबर ले । समय-असमयं पर खा लेता, फिर मित्रों के संग, या फिर अपनी पढ़ाई करता । पर वह भी कहां, पिता जी आते तो मां शिकायत करतीं । अभय तो अवारा होता जा रहा है । घर का कोई काम नहीं करता ।

फिर पिताजी जी की झिड़की और एक दो तमाचे खाकर सोया रहता । परिस्थितियों ने उसे सहनशील और चिन्तनशील बना दिया था । उसके जीवन की गाड़ी धीमी व एक रस गति से जा रही थी । लेकिन पिताजी की अचानक मृत्यु ने उसकी गति को ही पलट दिया ।

अब वह आवारा नहीं रहा । अब अपने ऊपर गंभीर उत्तरदायित्व के भार को महसूस कर रहा था । आय का स्रोत सूख चुका था । विवश होकर उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी । और पिताजी के जीवन में जो लोग खेल बटाई में जोतते थे उसमें उसे लगना पड़ा । अफसरों की कृपा से उसे अपने गांव के ही डाकघर में पत्र बांटने का काम मिल गया । इस प्रकार उसके परिवार की गाड़ी धीमी गति से चल पड़ी । मां को थोड़ी बहुत पेंशन भी मिलने लगी थी । पिताजी की कही बातें हर क्षण उसे प्रेरित करती रहतीं । उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भाइयों को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने देगा जिससे वे पिताजी कि रिक्तता महसूस करें । लल्लू और मोहन को स्कूल में भर्ती कराकर लौटा तो अपनी मां का पैर प्रथम बार छुआ था और कहा था मुझे आशीर्वाद दो मां कि मैं अपनी तपस्या में सफल होऊं मां ने उठा कर छाती से लगा लिया था ।आंखों के कोर छलक आये थे और रूद्ध गले से फूटा था यह स्वर "तुझे असमय ही बुढ़ा हो जाना है, मेरे बेटे । भगवान तूने यह क्या किया, जिनके खेलने-खाने के दिन हैं वह इतना बड़ा बोझ ढो रहा है । " समय बीतते देर न लगी, दोनो भाई कालेज में पहुंच गये । मां के आदेश से और आग्रह से उसे शादी करनी ही पड़ी थी ।

अभय का बोझ बढ़ता ही गया । कमाने के नये-नये तरीके से वह अपनी आय बढ़ाना चाहता था किन्तु घर का खर्चा सुरसा के मुख सदृश बढ़ता ही जा रहा था । कर्ज से कहीं पेट भरता है ? भगवान की कृपा से पत्नी अनुकूल मिली थी । जब वह टूट कर बिखरने को होता पत्नी उसे नए ढंग से सहेजती । उसमें नई शक्ति भरती थी । हृदय के छाले भी वहीं फूटते हैं जहां कोई सहलाने वाला अति आत्मीय हो ।

लल्लू इंटर के बाद ही बैंक में क्लर्क हो गया । अभय की खुशी का ठीक वही आनन्द जो किसी साधक को साधना की सिद्धि में मिलता है या महीनों प्रतीक्षा और परिश्रम के बाद जब किसी किसान की पहली फसल उसके घर में पहुंचती है । अभय गद-गद हो गया था । सारे गांव में मिठाईयां बंटवाई थीं । अभय अब मस्त था । उसका परिवार, अनुकूल वायु में पाल टांगे नौका सदृश्य, मंजिल की तरफ तीव्र गति सें निकल पड़ा थी । किन्तु नाविक को चैन कहां उसे तो निरंतर अपनी गति और दिशा की सुध ही थी । हां हल्की वायु ने उसकी थकान को कम कर दिया था । मोहन बी.आई.टी. की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था । उसे डिप्लोमा के लिए "मेसरा" रहने की समस्या थी । आय के साथ खर्च का खेल तब भी जारी था । वायु का वेग मन्द पड़ गया था । नाविक को डाड उठा लेना पड़ा । लक्ष्य नजदीक हो तो एक नई शक्ति सी आ जाती है शरीर में । किनारा नजदीक था । डूबने का

भय नहीं था । नसें तन गई थीं । हृदय की धौकनी तेज हो गई । अन्तिम बाजी है फिर तो आराम-ही-आराम । समय का सांप धीरे से सरक गया । कुछ भी नहीं बदला । हां ! अभय के कनपटी के बाल थोड़े और सफेद हो गए । मोहन सहायक अभियन्ता बन गया । अभय की आंखों के सामने एक वृतचित्र सा घुम गया था । क्या नहीं किया था इनके लिए । शादियों में भी कोई कसर नहीं रखी कि लोग यह न कहें कि पिताजी के न रहने पर अमुक त्रुटि रह गई । अभय को कुछ भी पाना शेष नहीं रहा । अब आराम से मौजो पर लंगर डाल वह जीवन काट लेगा । किन्तु यह क्या........ । उसकी आंखें पुनः भर आई थीं, सावन की बदली सी बरसने को । पर वह पी गया था चुपके से इन आंसुओं को । वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ । जरुर मेरे कार्य में कहीं त्रुटि रह गयी है । मेरी साधना पवित्र नहीं रह सकी । पूजा की आरती का दीप बुझ गया था । भक्त का मन संशय और विषाद से भर गया था । बरसात का पहला बादल, द्रुत वायु वेगों से खिलवाड़ कर रहा था । कृषक की अपलक दृष्टि निरूपाय ही केवल देख भर रही थी । बात बाहर से अन्दर पहुंची । बहुओं की चख-चख के बीच सास की आवाज कानों में पड़ी । अभय समझता था शायद नई मां को भी यह मंजूर है । पर विमाता को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था । कष्ट के दिन उसे भूले नहीं थे और वह भूल भी नहीं सकती थी । दुख कुछ और दे या न दे कृतज्ञता और हृदय को पवित्रता तो प्रदान करता ही है । उसे अपने पुत्रों पर भरोसा हो अथवा न हो अभय पर सम्पूर्ण विश्वास कर सकती थीं । जब उसने सुना कि उसके पुत्रों ने ही प्रथम प्रस्ताव रखे हैं तो वह कुछ बोल न सकी । चुपचाप अभय के कमरे में पहुंची, अभय आज दोपहर में ही सो रहा था । मानसिक अस्वस्थता शरीर को भी निष्क्रिय बना देती है । देखा तो देखती रह गयी । आज अभय बूढ़ा सा लग रहा था । चेहरे पर हल्की झुर्रियां सी निकल आई थीं । प्रथम बार उसकी विमाता ने उसके कानों तक पके बालों को देखा था । अभय उनके उदर से जन्मा पुत्र न था किन्तु अभय के हृदय के एक-एक पन्ने को वह पढ़ चुकी थी । कोई भी कोना बाकी नहीं था । एकाएक सम्पूर्ण वात्सल्य उमड़ आया । वह अभय के बालों को सहलाने लगी थी । अभय हड़बड़ा कर उठ बैठा । नई मां आप !" हां मैं" तुम बहुत थक गये हो मेरे लाल । अभय समझ गया कि मां के दिल को सदमा लगा है । वह पीड़ा में बोल रही है । कुछ बोला नहीं, चुपचाप उठकर बैठ गया । "मैं क्या सुन रही हूं । तुम तीनों अलग हो रहे हो"।

हां तुम ने ठीक सुना है मां ! नियति को यही मंजूर है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं । नियति के धोखे में तुम अपने अधिकार को तिलांजलि दे रहे हो । मैं ऐसा नहीं होने दूंगी । आने दो उन दोनों को आज ही छठी का दूध याद नहीं कराती हूं तो....... । नहीं, मां नहीं मेरा दिल टूट चुका है । मैं स्वार्थवश लिपटा नहीं रहना चाहता । मां निर्वाक हो गयी । वह समझ गई कि अभय के स्वाभिमान को धक्का लगा है । ठीक ही तो कहता है, टूटे घड़े कहीं जुड़ते हैं । एक हल्का अघात भी नही बर्दाश्त कर सकते । उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे । चुपचाप उठकर चल पड़ी । किन्तु दरवाजे के पास ही उसके कदम हठात रूक गये । अभय । मैं तेरे साथ रहूंगी । जो तुझे नहीं पहचान पाये वे मुझे क्या पहचानेंगे । अभय की आंखों में आंसू उमड़ आये । कह नहीं सकता कि सुख के आंसू थे या दुख के, हार के थे या जीत के या दोनों के ।

सांढ़ा नेवाजी टोला
पो. साढ़ा. जि. छपरा
बिहार 849309

****

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सहकारी उपभोक्ता समितियां

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा में बताया कि सहकारी उपभोक्ता समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश की 31 प्रतिशत उचित दर की दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं।

श्री आजाद ने श्री थंपन थामस के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

मंत्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से उपभोक्ता सहकारी समितियों की उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए खुदरा दुकानें खोलने के लिए वित्तीय सहायता देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिये सहायता दी जाती है। □

कृषि में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

कृषि मंत्री श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने पानी के कुशल और किफायती इस्तेमाल के लिए कृषि में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी को व्यापक पैमाने पर अपनाने का आह्वान किया है।

उन्होंने यह बात, "कृषि में प्लास्टिक के इस्तेमाल" के बारे में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में कही। संगोष्ठी का आयोजन कृषि मंत्रालय के विस्तार निदेशालय और उद्योग मंत्रालय की कृषि में प्लास्टिक के इस्तेमाल संबंधी राष्ट्रीय समिति ने संयुक्त रुप से किया। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में छिड़काव सिंचाई व टपकाव सिंचाई जैसी प्लास्टिक के इस्तेमाल वाली सिंचाई प्रणालियां तथा प्लास्टिक के पाइपों के माध्यम से सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उन्होंने ने कहा कि विस्तार एजेंसियों के पास किसानों के मार्ग दर्शन के लिए इस नई प्रौद्योगिकी की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्रों और कृषि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में सरल और अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग करने चाहिए।

मंत्री महोदय ने प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए उपयोगकर्ता संगठनों, प्लास्टिक उत्पादकों व आपूर्तिकर्ताओं के बीच घनिष्ठ सम्पर्क का आह्वान किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि वाणिज्यिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं उन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध करायेंगी जो उपज बढ़ाने के लिए प्लास्टिक प्रौद्योगिकी की प्रणालियां अपनाना चाहते हैं।

उन्होंने विशेषज्ञों से कहा कि वे कृषि, बागवानी, फार्म वानिकी, दूध की पैकिंग तथा अनाज के भंडारण में प्लास्टिक के इस्तेमाल के तरीके ढूंढें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल सेब, संतरा, टमाटर, अंगूर और ऐसी अन्य वस्तुओं की पैकिंग में भी किया जा सकता है। □

एक मुलाकात : उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के अध्यक्ष से

शारदा त्रिवेदी

रमाकान्त त्रिवेदी पिछले चार वर्षों से उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के अध्यक्ष हैं ।

सत्तावन वर्षीय त्रिवेदी जी एक हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हैं । उनसे इंटरव्यू के लिये समय लेना बहुत आसान भी था और कठिन भी । कभी मीटिंग, कभी आवश्यक कागजों से घिरे रहने के बावजूद मैंने उन्हें इंटरव्यू देने के लिये किसी तरह से पकड़ ही लिया । मैंने कहा, "आज तो आप को अपना इंटरव्यू देना ही होगा ।" बोले, "पूछो जल्दी-जल्दी, क्या पूछना है ?" मैंने कहा— "ऐसे नहीं जरा आराम से—इत्मीनान से बैठिये, तब बात होगी ।"

तब वे मुस्कराते हुए सहज होकर हाथों में अखबार उठाकर लान में पड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गये ।

उनका इंटरव्यू लेना और पहली बार उनके इस व्यस्त जीवन में अंदर तक झांक पाने का अवसर पाना अपने आप में एक बड़ी सुखद और गुदगुदाहट भरी अनुभूति है ।

श्री त्रिवेदी ने सन् 1950 में 21 वर्ष की आयु में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी । अब संस्थान का नाम इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालोजी हो गया है ।

श्री त्रिवेदी ने 1950 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में कार्य शुरू किया था । उन्हें शुरू में सिंचाई विभाग में नलकूपों, बांध तथा मशीनरी से नहरों के निर्माण पर दो वर्ष प्रशिक्षण लेना पड़ा था ।

प्रश्न :—आप यह बताइये कि जब आप सिंचाई विभाग में आये थे तो यहां कितने नलकूप थे ।

उत्तर— जब मैं सिंचाई विभाग में आया तो यहां पर बहुत थोड़े से नलकूप थे । लगभग 1936 के आस-पास सबसे पहले नलकूप बनने शुरू हुए थे । प्रदेश में योजनाकाल से पहले कुल 2,035 नलकूप कार्यरत थे । यहां हमारे प्रदेश में कुछ भागों को छोड़कर पूरे प्रदेश में भूगर्भ जल का विस्तृत भंडार है । यह विश्व में अपनी तरह का अकेला है । पहले केवल नहरें ही सिंचाई का साधन समझी जाती थीं और नहरों पर ही सबसे अधिक जोर था । लेकिन अब पाया गया कि हर जगह नहरें नहीं पहुंच सकती हैं तो फिर उन जगहों में, जहां नहरें नहीं हैं, नलकूप लगाने की योजना बनाई गयी । हमारे प्रदेश में मथुरा, आगरा, प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर तथा

उन्नाव के कुछ भागों को छोड़कर पूरे प्रदेश का जल पीने तथा सिंचाई के लिये उपयुक्त है ।

प्रश्न :—जब आप विभाग में आये थे तो नलकूप किस तरह लगाये जाते थे ।

उत्तर:— शुरु में हमारे जमाने में नलकूप हाथ से बोरिंग करके लगाये जाये थे । सैन्ड पम्प और केसिंग पाइप के द्वारा नलकूप का छिद्रण किया जाता था । सैन्ड पम्प से जमीन का मलबा निकाला जाता था । जिसे कई आदमी मिलकर रस्से से खींचते थे । मलबे को निकालते हुए पाइप को जमीन में नीचे दबाया जाता था । जमीन में बोरिंग लगभग ढाई-तीन सौ फिट तक करनी पड़ती थी । इस तरह से हैंडबोरिंग करने में एक नलकूप के छिद्रण में लगभग एक से दो महीने तक का समय लग जाता था । अगर जमीन सख्त होती थी तो समय इससे भी अधिक लग जाता था ।

प्रश्न:— नलकूप की बोरिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

उत्तर:— लगभग 100 फिट की गहराई तक के जल को सिंचाई के बड़े नलकूपों के लिये नहीं निकाला जाता है । ऐसा न करने से आसपास के कुएं छोटे प्राइवेट नलकूपों का पानी सूख जाने का भय है । बड़े नलकूपों के लिये पानी 100 फिट से अधिक गहराई से निकाला जाता है । इसके बाद 100 फिट गहरी जमीन की पर्तों में जिनमें पानी हो उसमें जाली डाली जाती हैं ।

प्रश्न:— एक सिंचाई के नलकूप से लगभग कितना पानी निकलता है ?

उत्तर:—एक नलकूप से औसतन 30 हजार गैलन प्रतिघंटा के हिसाब से पानी निकाला जाता है ।

प्रश्न:— कितने प्रकार के नलकूप लगाये जाते हैं ?

उत्तर:— नलकूप मुख्यत: तीन प्रकार के बनते हैं।

1. कैविटी वेल:—इसमें किसी स्ट्रेनर या स्लाटेड पाइप का प्रयोग नहीं किया जाता है । बोरिंग पाइप को इतनी गहराई तक ले जाते हैं जहां पर मजबूत मिट्टी की तह समाप्त होती है और उसके नीचे बालू की तह प्रारम्भ होती है । नलकूप की बोरिंग के बाद उसमें पम्प लगाकर कैविटी से मलबा निकाला जाता है । जब आस-पास की बालू निकल जाती है तो नलकूप से साफ पानी आने लगता है ।

2. स्ट्रेनरवेल :— जहां मध्यम या मोटी बालू की तह मिलती है वहां पर स्ट्रेनर पाइप डाला जाता है । स्ट्रेनर पाइप के छिद्रों का आकार इस प्रकार का होता है कि उसमें से बालू के कण न निकल सकें । इन नलकूपों का निकास कुछ समय के बाद कम हो जाता था । स्ट्रेनर के छेद बालू के कारण बंद हो जाते थे तो पानी निकलना कम हो जाता था ।

3. ग्रैवेल पैक्ड स्लाटेड वेल :—स्ट्रेनर टाइप के कुओं की गड़बड़ी को देखकर ग्रैवेल पैक्ड कूप का विकास किया गया । इसमें स्ट्रेनर की जगह स्लाटेड पाइप का प्रयोग किया जाता है । स्लाटेड में मुख्यतया 1/16 इंच चौड़ा तथा 3 इंच लम्बे स्टाल काटे जाते हैं । पाइप के चारों तरफ 2 मि.मी. से 3.5 मि.मी. साइज की गोल बजरी भरी जाती है । बजरी की तह की चौड़ाई लगभग 4 इंच रखी जाती है । बोर में पाइप डालनें तथा बजरी भरने के बाद कूप से मलवा निकाला जाता है । इसके बाद जब कूप से साफ पानी आने लगता है तो उसमें पम्प लगा कर पानी निकाला जाता है ।

प्रश्न:—पम्पसेट किस प्रकार के लगाये जाते हैं ?

उत्तर:— शुरू में हारिजन्टल पम्पसेट बनते थे । उनको लगाने के लिये एक कुआं बनाना पड़ता था । पंम्पसेट को जलस्तर से कुछ ही ऊपर लगाया जाता था । इस तरह के पम्पसेट में बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने पर प्राय: पम्प व मोटर पानी में डूब जाते थे, जिससे बड़ी कठिनाई होती थी ।

इस कठिनाई को दूर करने के लिये हारिजन्टल के स्थान पर वर्टिकल पम्पसेट बनाये गये । इनको 12" या 14" के पाइप के अन्दर कालम पाइप के सहारे लटकाया जा सकता था । इससे कुएं बनाने की आवश्यकता समाप्त हो गई और पम्प तथा मोटर के डूबने से होने वाला नुकसान भी बच गया ।

वर्टिकल पम्पसेट भी दो प्रकार के होते हैं । एक में मोटर भूतल पर रहता है ।

दूसरे में मोटर भी पम्प के साथ पानी के अन्दर ही डूबा हुआ रहता है ।

प्रश्न:— इन तीन विधियों में से सबसे अच्छी नलकूप बनाने की कौन सी विधि है ?

उत्तर:—इन तीनों विधियों के अपने अलग-अलग फायदे और सीमायें हैं । हारिजन्टल पम्प वाले तथा शैफ्ट ड्रिवेन नलकूप कुछ प्रबंध करके डीजल इंजन से भी चलाये जा सकते थे । हालांकि इनके डीजल से चलाने में खर्चा काफी आता था । हारिजन्टल नलकूप अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं । बोर होल शैफ्ट ड्रिवेन नलकूप में मोटर जमीन के ऊपर रहता है । इसमें चोरी की संभावना अधिक होती है । इसमें चलाने का खर्च भी शैफ्ट के

कारण अधिक पड़ता है । सबमरसिबल पम्प में शैफ्ट न होने के कारण इसका चलाना आसान है ।

प्रश्न:—आजकल कौन से नलकूप के तरीके अधिक उपयोगी है ?

उत्तर:— वर्तमान समय में जहां अधिक गहराई में पानी मिलता है वहां सबमरसिबल पम्प सेट से नलकूप बनाये जाते हैं । यहीं विधि आजकल सबसे अधिक उपयोगी, आसान तथा सुधरी हुई है ।

प्रश्न:—नलकूपों का निर्माण आजकल किस तरह की मशीनों से किया जाता है ?

उत्तर:— आजकल नलकूपों का निर्माण हैन्ड बोरिंग के पुराने तरीकों को छोड़कर बड़ी-बड़ी रिग मशीनों से होने लगा है । इसमें कम समय में अधिक से अधिक गहराई तक की खुदाई आसानी से हो जाती है । ये रिग मशीनें भी तीन तरह की होती हैं ।

1. परकुशन रिंग:— इसमें टूलविट एक तार से लटका रहता है और मशीन के द्वारा विट को ऊपर उठाकर छोड़ दिया जाता है जिससे बोर के अंदर जो भी पदार्थ होता है,उसका चूर्ण बन जाता है । इस पदार्थ को सैंड पम्प चलाकर निकाल दिया जाता है । इसमें केसिंग पाइप डाला जाता है जिसे नलकूप बनाने के बाद निकाल लिया जाता है ।

2. डाइरेक्ट सरकुलेशन रोटरी रिग :— इस रिंग मशीन में विंट ऊपर नीचे चलने के बजाय एक स्थान पर घूमती हुई चलती है । प्रयोग ड्रिलिंग मड का किया जाता है । मड पम्प के द्वारा मलबे को निकाला जाता है । इस मशीन के द्वारा काफी गहराई तक नलकूप का छिद्रण किया जा सकता है ।

3. रिवर्स सरकुलेशन रोटरी रिंग :—इस मशीन में रोटरी मशीन की तुलना में एक अन्तर होता है । बोर के अन्दर ड्रिलिंग मड के स्थान पर साफ जल भरा जाता है । बोर के अन्दर से कटे हुए पदार्थ तथा जल ड्रिल पाईप के अन्दर से होते हुए पम्प द्वारा बाहर निकाले जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में ये तीनों प्रकार की मशीनें काम में लाई जा रही हैं ।

प्रश्न:— आपके यहां नलकूप बनाने की कितनी मशीनें हैं ?

उत्तर:— सिंचाई विभाग में 100 से अधिक रिग मशीनें हैं । नलकूप निगम में लगभग 18 मशीनें हैं । कुछ रिग मशीनें जल निगम विभाग के पास भी हैं ।

प्रश्न:— इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग कितने नलकूप हैं ?

उत्तर:— पूरे देश में उत्तर प्रदेश नलकूपों के मामले में सबसे आगे है । यहां पर लगातार तेजी से नलकूप लगाये जाते रहे हैं । सिंचाई विभाग में इस समय (1985-86 में) लगभग 24,022 नलकूप हैं ।

प्रश्न:— कितनी गहराई तक के नलकूप लगाये जाते हैं ?

उत्तर— सामान्यतया प्रदेश में 300 फीट की गहराई में 1.5 क्यूसेक क्षमता के नलकूप का निर्माण हो जाता है लेकिन कई स्थानों पर 1000 से 1200 फीट गहरे नलकूपों का भी निर्माण किया गया है ।

प्रश्न:— उत्तर प्रदेश मे सामान्यत: कितने नलकूपों के लगाये जाने की क्षमता है ?

उत्तर:— उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा तथा जमुना के दोआब में स्थित है । यहां पर भूमितल से लगभग 300 मीटर से 800 मीटर की गहराई तक बालू का स्ट्रेटा मिलता है । कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में भूगर्भ जल का प्रचुर तथा विस्तृत भंडार है । यहां बहुत अधिक मात्रा में भूगर्भ जल उपलब्ध है । रासायनिक गुणों के कारण यह जल पीने तथा सिंचाई के लिये उपयुक्त है ।

शाम हो आई थी । श्री त्रिवेदी ने विस्तार से नलकूपों के विषय में बता दिया था । □

2-अ, कैनाल कालोनी
लखनऊ

ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथी द्वारा चिकित्सा

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री कुमारी सरोज खापर्डे ने होम्योपैथी के डाक्टरों का आह्वान किया कि वे होम्योपैथी को दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और गन्दी बस्तियों तक पहुंचायें ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को इस चिकित्सा पद्धति का अधिकतम लाभ मिल सके। वे दिल्ली में चर्म विकारों के बारे में तीन दिवसीय संगोष्ठी व कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थीं। इस संगोष्ठी व कार्यशाला का आयोजन केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से किया। परिषद से आग्रह किया गया कि वह अनुसंधान पर आने वाली लागत को कम से कम करने का प्रयास करें।

फिलेरिया और मलेरिया जैसे रोगों के उपचार के बारे में परिषद के प्रयासों पर खुशी जाहिर करते हुए मंत्री महोदया ने परिषद से आग्रह किया कि वे कुष्ठ रोग, क्षय रोग, अन्धापन और गलगंड जैसे रोगों पर अनुसंधान कर इन रोगों पर काबू पाने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहायता दें।

ऐसी जानकारी भी दी गई कि विश्व में सर्वाधिक होम्योपैथी चिकित्सक भारत में हैं। इनकी अनुमानित संख्या लगभग 4 लाख है जिनमें से 1.50 लाख चिकित्सक पंजीकृत हैं। केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने आदिवासी क्षेत्रों में 20 आदिवासी अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये हैं और ये केन्द्र अच्छी तरह काम कर रहे हैं। □

आदिवासी इलाकों में सस्ती दर पर खाद्यान्न की सुविधा

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना (आई.टी.डी.पी.) के इलाकों में आदिवासी लोगों को दिसम्बर 1985 से दिसम्बर 1986 के दौरान विशेष रियायती कीमतों पर लगभग 18.70 लाख टन खाद्यान सप्लाई किया गया। इसमें 9.20 लाख टन गेहूं तथा 9.50 लाख टन चावल की मात्रा है।

योजना के अंतर्गत गेहूं की कीमत 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल की कीमत 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है। ये कीमतें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित कीमतों से काफी कम हैं।

यह योजना नवम्बर 1985 में चालू की गई थी। यह योजना गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस योजना द्वारा लगभग 5.70 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था में उर्वरकों का योगदान

डा.एम.एल विश्वकर्मा

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वास्तव में कुल 7.5 लाख गांवों के विकास पर निर्भर करता है, जहां देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। कृषि पर हमारे देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है। जबकि जापान, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा एवं ब्रिटेन में क्रमश: 21,14,8,8 एवं 5 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। वर्ष 1984-85 में भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का भाग 40 प्रतिशत था, जबकि जापान, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन में क्रमश: 10,6,5,9 तथा 3 प्रतिशत था। देश से होने वाले निर्यात में लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र का ही है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में लोगों को रोजगार तो मिलता ही है, भोजन के लिए खाद्यान्न का उत्पादन कृषि द्वारा ही सम्भव होना है। उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही मिलता है। अत: कृषि का विकास आवश्यक है जो कृषि भूमि की उत्पादकता पर निर्भर करता है और कृषि भूमि की उत्पादकता अन्य बातों (सिंचाई, अच्छे बीज आदि) के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर करती है।

कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों की भूमि का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादकता एवं रासायनिक उर्वरकों में वहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। अन्य बातें समान रहने पर कृषि भूमि में एक टन उर्वरक डालने से अनाज उत्पादन में 8 से 10 टन की वृद्धि होती है। अनुमानत: कृषि उत्पादन में वृद्धि का लगभग 70 प्रतिशत उर्वरक का अधिक इस्तेमाल करने के कारण होता है।

रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जहां उर्वरकों की खपत प्रति हैक्टेयर शून्य पर थी, वहीं वर्ष 1984-85 में बढ़कर प्रति हैक्टेयर 48.39 कि.ग्रा. हो गई। उर्वरकों की कुल खपत वर्ष 1950-51 में 69 हजार टन थी, वहीं 1983-84 में बढ़कर 77.10 लाख टन हो गयी। वर्ष 1986-87 में 93 लाख टन पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 1980-81 में उर्वरकों की कुल खपत 60 लाख टन थी, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फेट एवं फासफोरस की मात्रा क्रमश: 4 लाख टन, 1.30 लाख टन एवं 0.70 लाख टन थी। वर्ष 1986-87 में नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन बढ़कर 7.2 लाख टन एवं फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन 2.4 लाख टन होने का अनुमान है।

कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न उत्पादन में प्राप्ति

वर्ष 1967-68 से वर्ष 1983-84 के बीच कृषि उत्पादन में वार्षिक वृद्धि 2.59 प्रतिशत के लगभग थी जो वर्ष 1984-85 में बढ़कर 3 प्रतिशत के लगभग हो गई। इसी अवधि में खाद्यान्न का उत्पादन 9.51 करोड़ टन से बढ़कर 15.15 करोड़ टन के लगभग पहुंच गया। वर्ष 1950-51 में दशक में जहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धि 430 ग्राम थी, वहीं बढ़कर वर्ष 1982 में 453 ग्राम एवं 1983 में 483 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई।

वर्ष 1950-51 में जहां चावल का उत्पादन 6.7 क्विंटल प्रति हैक्टेयर था, वहीं वर्ष 1984-85 में बढ़कर 15.2 क्विंटल हो गया। इसी अवधि में गेहूं का उत्पादन 6.6 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 17.5 क्विंटल हो गया। इस वृद्धि में हरित क्रान्ति तथा रासायनिक उर्वरकों का मिला-जुला और महत्वपूर्ण योगदान था।

इसी अवधि में ज्वार में 3.5 से 7.5 क्विंटल, बाजरा 2.9 से 5.2 क्विंटल, मक्का 5.5 क्विंटल से 10.9 क्विंटल, चना 4.8 क्विंटल से 8.8 क्विंटल, कपास 0.9 से 1.89 क्विंटल, जूट

10.4 क्विंटल से 11.8 क्विंटल, गन्ना 334.2 क्विंटल से 583 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो गया ।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उर्वरकों के कारण कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । आज कृषक इसी से उत्साहित होकर करोड़ों रुपया इन रासायनिक उर्वरकों पर खर्च कर रहा है । हम प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु जो करोड़ो रुपये की योजनाएं बनाते हैं, उनमें उत्पादन वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों पर भी व्यय की जाने वाली भारी मात्रा मीं सम्मिलित है ।

रासायनिक उर्वरकों का दूसरा पहलू

लेकिन उर्वरकों के प्रयोग का दूसरा पहलू भी है । यह सच है कि आज हम सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडा नाइट्रेट, पोटैशियम, यूरिया, मोनो अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट आदि रासायनिक खादों के प्रयोग से हम अपनी कृषि उपज दुगुनी, चौगुनी एवं पांच गुनी करने में सफल रहे हैं । किन्तु यह भी सत्य है कि आज रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग के कारण हमारी कृषि भूमि, उस अफीमची या शराबी की भांति होती जा रही है, जिसे खाद से उत्तेजित करके फसलें उगायी जा सकती हैं, पर यदि इन्हें किसी वर्ष रासायनिक खाद न दी जाय तो वह कृषि भूमि एक दाना भी दे सकने में असमर्थ होगी ।

प्रसिद्ध अमरीकी वैज्ञानिक जानरंगोरर के अनुसार "दक्षिण एरिजोना अमेरिका का वह भाग है, जहां मूलतः आदिवासी रहते थे । तब वहां घुटने तक घास लगी रहती थी । वहां पर श्वेत लोग आये और उन खेतों से रासायनिक उर्वरकों की सहायता से भारी मात्रा में अन्न का उत्पादन करने लगे । अब वहां एक कृषि फार्म बना है जो प्रयोग और शोध के लिए है । उसके किनारे की सारी भूमि बंजर हो गई है ।"

वर्ष 1952 में अमरीकी कृषि विभाग की "भूमि संरक्षण" संस्थान ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था—"शेष भूमि की सुरक्षा ।" इस पुस्तक में बताया गया था कि अन्धाधुन्ध रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से अमरीका की 28 करोड़ एकड़ भूमि नष्ट हो गई । 70 करोड़ एकड़ भूमि नष्टप्राय: है । अब हमारे पास कुल 46 एकड़ भूमि ऐंसी बची है जिस पर फसलें उगायी जा सकती हैं । प्रतिवर्ष 50 एकड़ भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट करने का पाप हम लोग कर रहे है ।

जेम्स एण्ड हाइट ने अपनी पुस्तक "रेप आन दी अर्थ" (धरती पर बलात्कार) नामक पुस्तक में लिखा है कि अमरीकी धरती पर अत्याचार हो रहे हैं । हजारों एकड़ भूमि रेगिस्तान बन गई है । भूमि संरक्षण एक समस्या बन गई है ।

एड्नबेल ने अपनी पुस्तक "मैन आफ दि फील्डस" (खेत के लोग) में लिखा है कि रासायनिक खाद देकर पैदा की हुई चीजें देखने में चाहे कितनी सुन्दर और आकर्षक लगें, उनमें प्राकृतिक खाद के समान ओज,स्वत्व और जीवन-शक्ति नहीं है । पर गरीब किसान के अनुभव को कौन पूछता है !

रासायनिक खादें इतनी उत्तेजक होती हैं कि उनसे उपज बहुत अधिक बढ़ जाती है । साधारण आलू का वजन 100 ग्राम से ऊपर नहीं होता । एशोनियाई-सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के "वायुदूत से " सामूहिक कृषि कार्य में खुदाई करते समय वहां के मैनेजर को एक आलू इतना बड़ा मिला, जिसका वजन सवा किलोग्राम था । यह अत्यधिक विकास रासायनिक खादों के प्रयोग से ही हुआ था, पर मिट्टी की जांच करने पर पता चला कि उसमें खनिज तत्व क्रमशः घटते जा रहे हैं । एक बार में 1211 गुना तक खनिज तत्व निकाल देने से भूमि के जीवन तत्व कितनी तेजी से नष्ट होते हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है पर आज के लोगों का ध्यान तो सवा किलो आलू की तरफ है । भूमि के जीवन तत्व नष्ट हो रहे हैं, यह कोई नहीं देखता ।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारा अस्तित्व इन आश्चर्यकारी उपविष एवं कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के भरोसे नहीं टिक सकता । वह केवल भूमि की उत्पादक क्षमता बनाए रखने पर निर्भर करता है । वहीं उसकी नींव है, आज भी पीढ़ी के पोषण की मांग है । यदि हम अन्धाधुन्ध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़ारी रखेगें तो एक न एक दिन हमारी कृषि भूमि की उत्पादकता घटकर शून्य पर पहुंच जायेगी और इसके लिए जिम्मेदार होगें—रासायनिक उर्वरक ।

अतः कृषि भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ निम्न उपायों को भी प्रयोग में लाया जाय :—

1. कम्पोस्ट खाद, गोबर की खाद, नीम की खली की खाद भी कृषि भूमि में अधिक मात्रा में प्रयोग लायी जाय, ताकि कृषि भूमि की उत्पादकता बनी रहे ।
2. गांव तथा शहर के कूड़े- कचरे, मल-मूत्र का इस्तेमाल भी खाद के रूप में किया जाय ।
3. प्रत्येक कृषक का यह दायित्व होता है कि वह प्रतिवर्ष अपनी

भूमि का परीक्षण कराता रहे कि कृषि भूमि में जिन तत्वों की कमी हो, उसकी पूर्ति बराबर करता रहे, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे ।

4. "भूमि संरक्षण" स्वायत्त कनजर्वेशन विभाग का यह नैतिक दायित्व होता है कि वे गांवों में कृषकों के पास जायें, उनसे मिलकर उनकी भूमि का परीक्षण करें एवं जिन तत्वों की कमी हो, उसे दूर करने हेतु उपाय बतायें, तभी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रही सकती है ।

अत: हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि उत्पादकता में रासायनिक उर्वरकों का बहुत बड़ा योगदान है और भविष्य में भी रहेगा । जहां हमारी अर्थव्यवस्था ही कृषि प्रधान है, वहां कृषि उत्पादन में निरन्तर विकास लाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सत्य है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ने से कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति निरन्तर गिरती जा रही है, जिसे हमने हर कीमत पर रोकना है । अन्यथा रासायनिक उर्वरकों के निरन्तर प्रयोग के कारण हमारी सारी कृषि भूमि ऊसर भूमि में बदल जायेगी, जो एक दाना भी उपजाने में असमर्थ होगी । ☐

प्रवक्ता-अर्थशास्त्र
काशी विद्यापीठ, वाराणसी-2

गाँव की गोरी

चैनराम शर्मा

प्रात :उठकर
घर बुहारती
पनघट जाती
जलभर लाती
धर सिर पर
गागर की जोरी, गांव की गोरी ।
बड़े सवेरे
गो-सेवा कर
जुटती घर में
तन-मन से फिर
छाछ विलोती
खींच के डोरी, गांव की गोरी ।

नन्हा लाल
मचल जाता तब
उसे झुलाती
और सुलाती
थपकी दे दे
गाती लोरी, गांव की गोरी ।
खेत-
खेत-पहुंचकर
गृह-स्वामी को
गठरी खोल
खिलाती रोटी
और निरखती
चोरी-चोरी, गांव की गोरी ।

धरती मां की
मांग सजाने
दिन भर माटी
में श्रम करती
सचमुच ही
धरती की छोरी, गांव की गोरी ।

गांव-डाक-चन्देसरा
वाया-खेमली
जिला-उदयपुर (राज.)

भारत में विकलांगों का पुनर्वास

एम.आई. हबीबुल्ला

भारत सरकार ने आजादी हासिल करने के बाद अपने नागरिकों के कल्याण के लिये कई कार्यक्रम तैयार किये। जिनमें कमजोर वर्गों के लोगों एवं विकलांगों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विकलांग समुदाय को कमजोर वर्गों का ही एक अंग माना जाता है इसलिए भारत सरकार ने विकलांग कल्याण को पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल कर लिया था। छठी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1980-85) में सरकार ने विकलांगों के कल्याण के लिए 24.40 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया था जबकि इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 124 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भारत में विकलांगों की जनसंख्या दिसम्बर 1986 तक 7 करोड़ 85 लाख थी। इन विकलांगों को हम आजकल उनकी विकलांगता के आधार पर पांच भागों में विभाजित करते है। ये पांच प्रकार के विकलांग निम्न प्रकार हैं। (1) दृष्टिहीन, (2) अपंग, (3) मूक-बधिर, (4) अस्वस्थ या विकृत दिमाग, (5) कुष्ठ रोगी।

रोजगार एवं पुनर्वास

सरकार ने 1957 में अपंगों के लिए बम्बई में एक विशेष रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। यह विकलांगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में सबसे पहला कार्यक्रम था। इस विशेष रोजगार कार्यालय की सफलताओं एवं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऐसे ही 22 अन्य विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की है। ये निम्नलिखित शहरों में कार्यरत है :—

1. बम्बई, 2. कलकत्ता, 3. अहमदाबाद, 4. दिल्ली, 5. बंगलूर, 6. लुधियाना, 7. मद्रास, 8. कानपुर, 9. जबलपुर, 10. त्रिवेन्द्रम, 11. पटना, 12. चंडीगढ़, 13. शिमला, 14. जयपुर, 15. भुवनेश्वर, 16. गुवाहाटी, 17. अगरतला, 18. वड़ोदरा, 19. इम्फाल, 20. सूरत, 21. राजकोट, 22. हैदराबाद,

इन 22 विशेष रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने 41 उप-कार्यालय भी खोले हैं जो दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों के पुनर्वास एवं रोजगार अवसर प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य विकलांगों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार संबंधी सुविधाएं प्रदान करना एवं उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम तैयार करना है।

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.ई.टी) ने जून 1968 में अपंगों के कल्याण के लिए दो व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की। जिनमें से एक बम्बई तथा दूसरा हैदराबाद में खोला गया था। इनका मुख्य उद्देश्य विकलांगों के लिए व्यावसायिक केन्द्रों को बढ़ाना, उनका मूल्यांकन करना एवं उन्हें उचित प्रशिक्षण की सेवाएं प्रदान करना था। इन व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा विकलांगों के लिये उत्तरदायित्वों के प्रति उदार एवं उन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर होते देखकर भारत सरकार ने ऐसे ही 12 अन्य व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना देश के विभिन्न भागों में की है।

अन्य सुविधाएं

सरकार ने विकलागों को अनेक सुविधाएं भी प्रदान की हैं जो निम्नलिखित है:—

(1) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्तर के सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए 1977 से ही केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सकारों ने तीन प्रतिशत तक सीटें आरक्षित की हैं। विकलांग उम्मीदारों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार को और अतिरिक्त आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है।

2. पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा विकलांगों के लिए 15 प्रतिशत एजेंसियां देने का भी प्रावधान रखा गया है।

(3) संचार मंत्रालय के स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत विकलांगों को सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन चलाने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें विकलांगों से 50 पैसे के स्थान पर 30 पैसे प्रति काल वसूल किया जाता है। सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बहुत से विकलांगों ने ले रखें हैं। इस लाभप्रद योजना का लाभ प्राप्त कर कई लोग आजीविका चला रहे हैं।

(4) संचार मंत्रालय के डाक तार विभाग द्वारा दृष्टिहीनों के ब्रेल लिपि युक्त पत्रों को डाक व्यय से मुक्त रखा गया है।

(5) शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर दृष्टिहीन विद्यार्थीयों को अपना व्यक्तिगत रीडर रखने की अनुमति भी दे रखी है जिसका खर्च स्वयं विश्वविद्यालय वहन करेगा।

(6) सरकारी दफ्तरों की कुर्सियों की बुनाई का कार्य भी दृष्टिहीनों के लिए ही आरक्षित है। दृष्टिहीन न मिलने पर ही अन्य कारीगरों को बुनाई का काम दिया जाता है।

(7) सरकार स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति को राष्ट्रीयकृत बैंकों से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 6500 रु. की ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाती है।

(8) प्रत्येक प्रकार के विकलांगों के लिए एवं टी.बी. और कैंसर मरीजों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा यात्रा किराया में भी छूट प्रदान की जाती है। इस आशय के लिए किसी भी सरकारी डाक्टर का प्रमाण पत्र होना मात्र काफी है। मस्तिष्क विकार ग्रस्त मरीजों तथा अपंगों के साथ एक रक्षक को भी यात्रा किराये में, छूट प्राप्त कर सकता है।

मस्तिष्क विकार के व्यक्तियों, मरीजों एवं विद्यार्थियों के लिए मासिक सीजन टिकट में भी उसके रक्षक सहित जनवरी 1987 से शुरू की गयी है। यदि कोई ऐसे चार मस्तिष्क विकार व्यक्ति, मरीज एवं विद्यार्थियों की कोई पार्टी जाती है तो उन्हें और अधिक छूट की भी व्यवस्था है।

(9) सरकारी विकलांग कर्मचारियों को उनकी आय का 10 प्रतिशत अधिक से अधिक 75 प्रतिशत रुपये मासिक यात्रा भत्ता देय है। इस भत्ते के लिए विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत होनी चाहिये। यदि किसी विकलांग के पास यातायात का अपना साधन है तो उसके लिए रियायती दर पर पैट्रोल की सुविधा भी उपलब्ध है।

(10) विकलांग उम्मीदवारों को स्कूल एवं यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में 10 अंकों की छूट भी दी जाती है। विकलांग विद्यार्थियों को पांच के ऊपर छात्रवृति की सुविधा प्राप्त है।

(11) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिल्ली के विकलांग निवासियों के लिए दिल्ली में चलने वाली सभी बसों में मुफ्त पास की सुविधा है तथा अन्य सभी राज्य परिवहन निगम भी यात्रा किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हैं।

(12) दिल्ली विकास प्राधिकरण में विकलांगों को मकान, दुकान प्लाट आदि के वितरण के लिए आरक्षण की भी सुविधा प्राप्त है।

प्राथमिकता के आधार पर सुझाव

1. विकलांगों को रोजगार के लिए आवेदन पत्र भेजते समय-आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाए तथा कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिग भर्ती बोर्ड एवं केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की तरफ से रोजगार के पूर्व प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाये।

2. सरकार ने विकलांगों के रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जो आरक्षण 1977 में किया था लेकिन इसे आज तक भी सुचारु रूप से लागू नहीं किया गया है। उस समय विकलांगों को केवल 3 भागों में विभाजित किया जाता था। मगर आजकल विकलांगों को 5 भागों में बांटा जाता है। फिर भी आरक्षण से कोई वृद्धि या सुधार नहीं हुआ। अतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए।

3. विकलांगों को पत्राचार पाठयक्रम एवं दैनिक पाठयक्रम दोनों के द्वारा उच्च शिक्षा पाने के लिए मुफ्त शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाये एवं उन्हें रोजगार के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में भी छूट प्रदान की जानी चाहिए।

4. अगर कोई स्वस्थ्य व्यक्ति किसी विकलांग से शादी करना चाहता है तो ऐसी शादियों को प्रोत्साहन दिया जाय एवं पुरस्कृत किया जाये ताकि विकलांगों एवं स्वस्थ के फासले को कम किया जा सके।

ए-59/जैड, जहांगीर पुरी,
दिल्ली-33

कौड़ियों से करोड़

नटवर त्रिपाठी

चौंकिये मत । देखते-देखते उसने कौड़ियों से करोड़ कर लिए । वह अपनी तद्‌वीर से तकदीर बना रहा है । पांच-सात बरस में ही उसने लू के थपेड़ों को थाम दिया । अपने आस-पास का जलवायु बदल दिया । नया भूगोल बना दिया । उसने पौधे रोप कर पांच-छः बरस में ही अपनी ज़मीन पर 40-50 फीट का लहलहाता जंगल खड़ा कर दिया । मामूली पढ़-लिखकर प्राईमरी के मास्टर ने अपनी सूझ-बूझ,जीवट और मेहनत से एक लाख यूकेलिप्ट्स के पेड़ लगा लिए और आज वह एक करोड़ रुपये के जंगल का मालिक है ।

पांच बरस पहले और इसके एक-दो बरस बाद के पेड़ 50-55 फीट ऊंचे और डेढ़-दो फीट गोल हो गए हैं । बून्दी से 45 किलो मीटर दूर रामगढ़ अभ्यारण्य के निकट की पहाड़ियों और पास में खाड़ी तलवास की पहाड़ी पर खड़े-खड़े इस हरे-भरे जंगल का जो स्वरुप बनता है, ऐसा वन तो कश्मीर की वादियों में या हिमालय की तराई में ही देखा जा सकता है ।

आस्था के आयाम कुछ ऐसे ही होते हैं । उसका खेत क्या है एक लघु वन,एक पर्यटन स्थल, एक जीवित कृषि फार्म, एक कम्युनिटी सेन्टर, एक हंसता खिल-खिलाता जानदार मोहल्ला, एक कारखाना और एक प्रयोगशाला ।

स्कूल मास्टर सत्यनारायण शर्मा के पिता ने 1964 में जेतपुरा गांव में ढाई सौ बीघा जमीन ली और सोनीपत से आकर यहां बस गए । 12 वीं पास सत्यनारायण को भी जेतपुरा में ही पंचायत समिति में मास्टर की नौकरी मिल गई । दस साल तक जमीन को सुधार कर खेती प्रारंभ की । जो कमाया सो खाया । हरियाणा में यूकलिप्ट्स की खेती की देखा-देख 6 साल पहले यूकलिप्ट्स के 20 हजार पेड़ लेने,जब मास्टर डी.एफ ओ. के कार्यालय में पहुंचा तो अफ़सर हिचकचाया । पूरी बात और योजना सुन कर पेड़ गिन दिए'। सत्यनारायण ने पहली बार ही 20 हजार पेड़ अपने खेत पर लगा दिए । गांव वाले और देहात के लोग सत्यनारायण पर, उसके करतब पर हंसे । खिल्ली उड़ाई । अब वे ही लोग इसके खेत पर लगी नर्सरी से पौधे मांगने आते हैं । खिल्ली के समय उगाए पौधे अब पचास फीट ऊंचे पेड़ बन गए हैं । उसने 150 बीघा बंजर, ऊबड़-खाबड़ एवं खाल की जमीन को यूकलिप्ट्स से ढक दिया है । तीन सौ में से डेढ़ सौ बीघा जमीन खेती के लिए उपयोगी बना ली और लगभग एक दर्जन बड़े-बड़े चकों में बदल दी है । इसके चारों ओर पंक्तिबद्ध यूकेलिप्ट्स लगाकर हर खेत के लिए आंधी-तूफान,तेज ठंडी हवा से अथवा गरम लू के थपेड़ों के विरुद्ध मजबूत मोटी हरी दीवार खड़ी कर दी है । खेत पर लगाए गए जंगल का तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि खेत के बाहर तपती धरती, बरसती लू, और झुलसा देने वाली गरमी थी तो उसके खेत के अन्दर चारों ओर ठंडा तापमान, पक्षियों का कलरव एवं ठंडा बहता सुखकर समीर ।

खेत पर खड़े वृक्षों की कीमत के बारे में जब उसके बड़े भाई से पूछा, भरी दुपहरी और तपते मौसम में वह मजदूरों से पेड़ों में पानी डलवा रहा था और खुद भी कड़ाव में से पानी भर कर खींच रहा था । थोड़ी देर में एक ट्रेक्टर आया और वहां पड़े गुड़ के कड़ाव में पानी उड़ेल गया । उसका जवाब आया खून-पसीने की भी कीमत करनी है तो करलो । पेड़ बिक जायें तो लाख के और नहीं बिके तो कौड़ियों के । उसने बताया डेढ़ सौ रुपये में लोग गर्ज कर रहे हैं । मिलने वालों को कल ही डेढ़ सौ रुपया में एक पेड़ दिया । अंगुलियों पर हिसाब लगाया । प्रति पेड़ सत्यनारायण को एक सौ भी मिल जायें तो अकेले इस खेत पर खड़े एक लाख पेड़ों की कीमत सीधी-सीधे एक करोड़ रुपये हो गई ।

गेहूं, चना, मक्का और गन्नों के खेतों को उसने नीम्बू, अमरुद और सन्तरों के बगीचों में बदलना प्रारंभ कर दिया है। उसकी कल्पना है कि इसको साकार होने में अब देर नहीं रही है। चारों तरफ हरी सुरक्षा दीवार और बीच में आम, सन्तरे और नीम्बू के बगीचे होंगे। तब उसे गेहूं और मक्का की खेती के साथ-साथ हरे-भरे बगीचे से वह दुगनी-तिगुनी आमदनी ले सकेगा। इस साल उसे आठ बीघा खेत में हनीड़्यूपपीते से 40 हजार रुपये नकद मिले हैं। जेतपुरा और आस-पास जिन लोगों ने पपीते के बगीचे लगाये थे वे ठंडी हवाओं के थपेड़े और गरम लू तथा अंधड़ से उजड़ गए परन्तु यूकलिप्ट्स की सुरक्षा दीवार ने इसके बगीचे को जरा भी नुकसान नहीं होने दिया। उसके दो खेत नीम्बू से अटे-पटे पड़े हैं। वह अनुमानतः हर वर्ष एक हजार मन गेहूं, इतना ही चना, पांच सौ मन सरसों, एक हजार मन गुड़ और एक हजार मन आलू-प्याज की फसल लेता है। उसके पास 25-30 दूधारु जानवर हैं। दूध बेचता नहीं। खेत के कामगारों के साथ मिल-बैठ खाता-पीता है।

यूकलिप्ट्स उगाने की दौड़ आज भी वैसी की वैसी बनी है। चार-पांच किलो मीटर जमीन का एक बड़ा चक और ले लिया। आनन-फानन में दस दिन में कुआं बना लिया। पास बह रही नदी का पानी कुएं में ले आया और कुंए का पानी बंजर भूमि में उड़ेल कर यूकलिप्ट्स में दे दिया। पानी की इफरात से ये पेड़ पहले वालों से ज्यादा स्वस्थ और झूम-झूम ऊंचे हो रहे हैं। अब उसने कुआं भी पक्का बना लिया है। सत्यनारायण यह बताते-बताते कहने लगा, जनाब! हमने तो अब यूकेलिप्ट्स की खेती करली है।

सत्यनारायण के यूकलिप्ट्स का प्रभाव आस-पास पड़ने लगा है। इससे लगे हुए खेत पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर चन्दर सिंह ने भी दो वर्ष पहले 25 हजार पेड़ लगाए और पिछली बरसात में भी इतने ही पौधे रोपे। पहाड़ी नाले को खेत में डाल दिया। ब्रिगेडियर के यूकलिप्ट्स और सत्यनारायण के यूकलिप्ट्स में बस अन्तर इतना ही है कि वे ज्यादा व्यवस्थित और हरापन लिए हुए हैं। ब्रिगेडियर के बीस तो मास्टर के उन्नीस हैं। ब्रिगेडियर की भी अपनी नर्सरी है। दो साल के पेड़ गजब के झूल रहे हैं। झुक-झुक कर वर्षा को, पानी को न्योता दे रहे हैं। यहां जेतपुरा गांव के गोपाल लाल मीणा, ईश्वर, मंडूलाल समेत एक दर्जन से भी ज्यादा किसानों ने इस तकनीक को अपनाया है और खटकड़ केशोरायपाटन के बीच नहर के किनारे-किनारे दर्जनों किसानों ने अपने खेतों की मेडों पर यूकलिप्ट्स उगा लिए हैं।

सत्यनारायण ने प्रत्येक पेड़ के बीच में इतनी जगह रखी है कि उसका ट्रेक्टर पेड़ों की लाईन को चीरता हुआ निकल जाए और जमीन की खुदाई हो जाए तथा खर-पतवार निकल जाए। सारी बेढ़प जमीन को ट्रेक्टरों से ऐसा बना दिया है कि जहां-जहां से बरसाती पानी जाता है वह बह कर बाहर नहीं जा सकता है। वह यूकलिप्ट्स के पेड़ों में समाता चला जाता है। पेड़ों की दो वर्ष रक्षा करनी होती है। पहले साल और दूसरे साल गर्मियों में पानी देना पड़ता है। बीमारी होने पर दवाओं का व्यापक छिड़काव भी करना पड़ता है। यूकलिप्ट्स की टहनियां ऐसी नहीं होती कि पक्षी-घोंसले बना सकें या उन पर बैठे रह सकें। पत्तों में बांस के कारण चिड़ियां कम बैठती हैं। खेतों में यूकेलिप्ट्स के पास-पास पानी की नाली बना दी हैं जिससे खेत का पानी नाली में नहीं जा सकता और नाली के पानी से पेड़ अपना पानी ले लेता है।

सत्यनारायण के पास 3 ट्रेक्टर, दो कुंए, पानी सींचने के पम्प खेती बाड़ी के आधुनिक सब औजार हैं। सारे के सारे ट्रेक्टर खेती में ही प्रयुक्त हैं। खेतों पर मजदूरों के खेतिहरों के 15-20 परिवार रहते हैं। यहां शादी-विवाह, जन्म-मरण होता है। रात को गीत-गाल, बच्चों में हंसी-ठिठोली और बड़े बुजुर्गों की गप-शप, खेत में बनी झोंपड़ियों की चबूतरी पर होती है। सत्यनारायण स्वयं परिवार नियोजन के हक में है और खेती पर कामगारों को भी इसके लिये प्रोत्साहित करता रहता है। पिता पेशे से वैद्य है। वह जब भी आता है गांव वालों को दवाइयां मुफ्त बांटता है। सत्यनारायण आयुर्वेद और एलोपेथिक की दवाइयां गांव वालों को देता है। इस दवा वितरण से गांव में उसका बड़ा रुतबा है। गरीब लोगों की छोटी-मोटी आर्थिक जरुरतों को पूरा करता है जिससे उसे जब जरुरत पड़े मजदूर मिल जाते है। □

के. आर. 58 सिविल लाईन्स,
कोटा-324001 (राज.)

बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986

10. शिक्षित राष्ट्र

हम :

- सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर जोर देंगे;
- हर स्तर पर शिक्षा को उन्नत बनायेंगे;
- अनौपचारिक शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों को व्यावसायिक दक्षता सहित बढ़ावा देंगे;
- प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देंगे और इसके लिए छात्रों और स्वैच्छिक संगठनों की मदद लेंगे; और
- राष्ट्रीय अखण्डता, सामाजिक और नैतिक आदर्शों पर जोर देंगे और अपनी विरासत के प्रति लोगों में गौरव की भावना उत्पन्न करेंगे ।

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

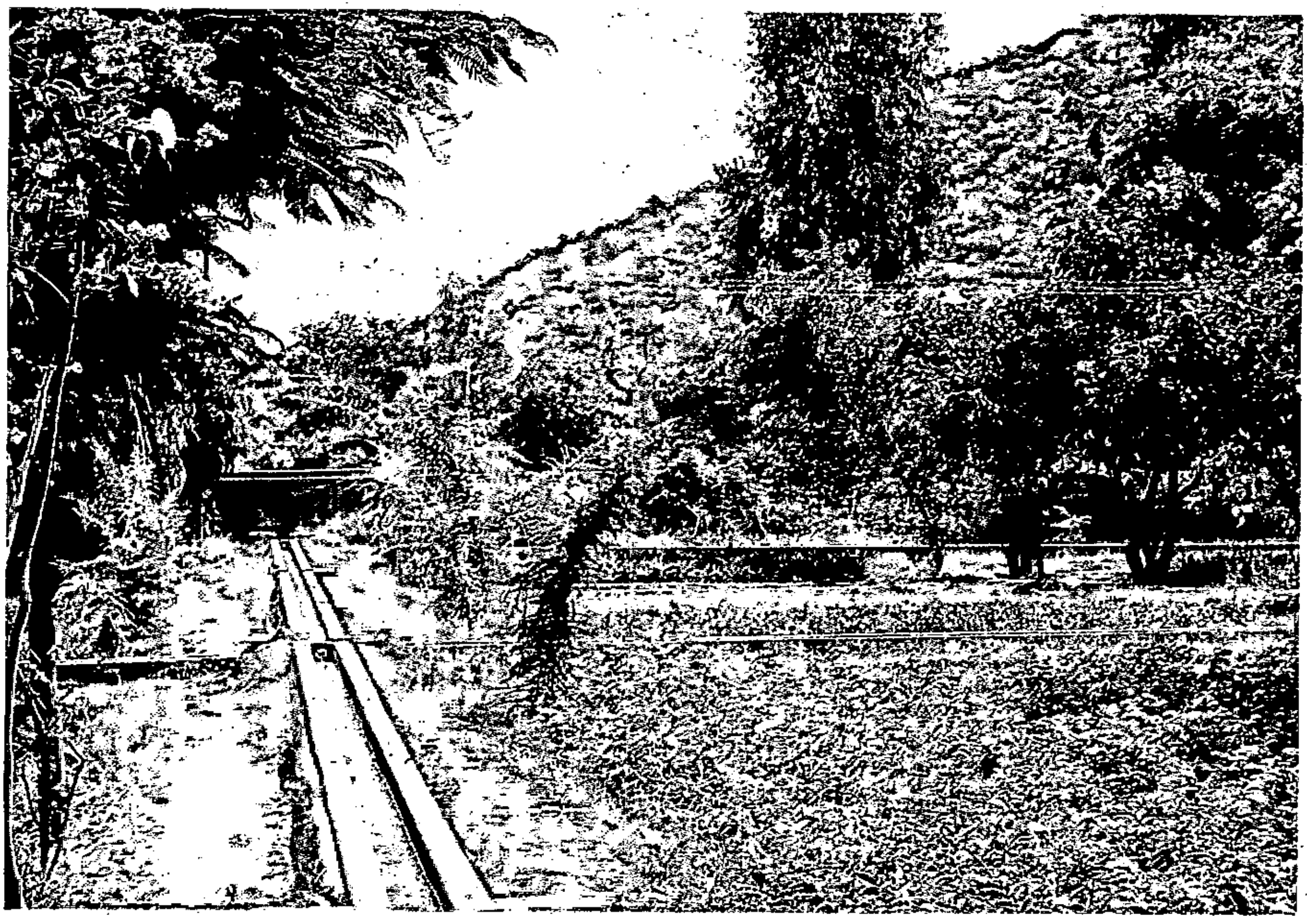

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
पंजाब नेशनल प्रैस बी-11/2 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-2
नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित